Con. 3. VII-12.48
350

अंक 7
संख्या 12

बुधवार
24 नवम्बर
सन् 1948 ई.

# भारतीय विधान-परिषद्

## के

## वाद-विवाद

## की

## सरकारी रिपोर्ट

**(हिन्दी संस्करण)**

---

**विषय-सूची**

पृष्ठ

1. श्री कन्यालाल मनाना की मृत्यु पर शोक ..... 755

2. विधान का मसौदा–(*जारी*) ..... 755
[अनुच्छेद 38, भारतीय सरकार का 1935 ई. का अधिनियम (संशोधन करने का विधेयक) और अनुच्छेद 38-क और 39 पर विचार]

# भारतीय विधान-परिषद्

**बुधवार, ता. 24 नवम्बर, सन् 1948 ई.**

---

*भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः दस बजे उपाध्यक्ष (डा. एच.सी. मुकर्जी) की अध्यक्षता में हुई।*

---

## श्री कन्यालाल मनाना की मृत्यु

***उपाध्यक्षः** (डा. एच.सी. मुकर्जी): मुझे ज्ञात हुआ है कि मध्य भारत से इस विधान-परिषद् के लिये निर्वाचित सदस्य श्री कन्यालाल मनाना की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो गई। समाचार पत्रों में ऐसा समाचार निकला था। इस समाचार की सत्यता के बारे में पता चलाया गया और अब यह निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि यह खबर ठीक है। सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि वे उनकी स्मृति करने के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिये एक मिनट के लिये खड़े हो जायें।

(*समस्त सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हुये।*)

***उपाध्यक्षः** मेरी इच्छा है कि सभा मुझे उनके कुटुम्बियों को प्रथानुसार शोक-सन्देश भेजने का अधिकार प्रदान करें।

***माननीय सदस्यः** अवश्य, अवश्य।

---

## विधान का मसौदा–(*जारी*)

### अनुच्छेद 38–(*जारी*)

***उपाध्यक्षः** आज की कार्रवाई हम विधान के मसौदे के उस विशेष अनुच्छेद से प्रारंभ करेंगे जिससे आज हमारा सम्बन्ध है। विधेयक का पुरःस्थापन कुछ समय के पश्चात् होगा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): मैं जिस संशोधन को उपस्थित कर रहा हूं वह श्री महावीर त्यागी के संशोधन का संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि यह उनको मान्य होगा क्योंकि उन्होंने अपने संशोधन में

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

''भैषजिक प्रयोजनों को छोड़ कर'' शब्द नहीं रखे हैं। मेरे विचार से यदि श्री महावीर त्याागी का संशोधन मेरे संशोधन द्वारा संशोधित रूप में रखा जायेगा तो वह और भी अधिक उपयुक्त हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि डा. अम्बेडकर मेरे संशोधन को जो सूची 4 में सं. 86 पर है स्वीकार करें।

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव रखता हूं:

''कि अनुच्छेद 38 के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें:

'और स्वास्थ्य के लिये हानिकर नशीले पेय पदार्थों तथा भैषजों का, भैषजिक प्रयोजनों को छोड़कर, सेवन करने के निषेध का प्रयास करेगा।' ''

अर्द्धविरामों के मध्य शब्दों में जो अपवाद है वह मूल संशोधन में नहीं दिया हुआ है, परन्तु मेरे विचार से वह अपवाद महत्त्वपूर्ण है। मेरे विचार से वह एक भूल थी और इसलिये मेरा संशोधन मान लिया जाना चाहिये। श्रीमान्, मैंने उस दिन मि. सैयद करीमुद्दीन के संशोधन पर वाद-विवाद करते हुये यह बताया था कि यह एक ऐसा मौलिक विषय है जिस पर हमारे देश में कोई मत-भेद नहीं है। कदाचित् मनुष्य सामान्यतया मद्य-सेवन द्वारा भीविष्य में होने वाले दुष्परिणामों को नहीं समझते हैं। यह सत्य है कि यदि हम विभिन्न प्रान्तों में मद्य-निषेध द्वारा आगमों में जो क्षति होगी उसका योग लगायें तो वह एक बड़ी भारी रकम होगी। मेरे पास 1940-41 का पूरा हिसााब है और समस्त प्रान्तों से आबकारी के आगमों का योग 12,52,00,000 रुपया होता हैं इसमें एक करोड़ रुपये की प्राप्ति विदेशी शराब से, दो करोड़ रुपये की प्राप्ति अफीम से और केवल 25 लाख रुपये की प्राप्ति भैषजिक तथा नशीली भैषजों की बिक्री द्वारा हुई है। और अब वह गत छः या सात वर्षों में दुगुनी अथवा और अधिक हो गई होगी। अतः त्याग की वास्तविक मात्रा जो कि इस संशोधन के स्वीकार करने में निहित है वह इस बात से स्पष्ट प्रकट होती है कि यदि हम मद्य-निषेध में सफल हो गये तो आगम में से हमें 25 करोड़ रुपयों को स्वेच्छापूर्वक छोड़ना पड़ेगा। यह आगम मद्य के मूल्य का चौथा अथवा पांचवां भाग है; अतः यदि आगम में 25 करोड़ रुपये की क्षति होती है तो लोगों को कम से कम 100 करोड़ की बचत होगी, जो रकम नशीले पदार्थों पर देश में लोगों द्वारा बरबाद की जाती है। इस प्रकार से

यह 100 करोड़ रुपये शराबियों के कुटुम्बों के लिये बचत में आयेंगे, विशेषकर मजदूरों और हरिजनों के कुटुम्बों के लिये जिनमें इस बुराई का अधिकतम प्रचलन है। मैं डा. अम्बेडकर का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हरिजन और मजदूर लोग अपनी इस गाढ़ी कमाई के अधिकांश भाग को ताड़ी की दुकानों और शराब के ठेके पर खर्च करते हैं जो साधारणतया मिलों और मजदूर तथा हरिजनों के घरों के निकट स्थित होते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह निदेशक सिद्धान्त केवल पवित्र भावना के रूप में ही न रह जायेगा, वरन् मद्रास के सदृश समस्त प्रान्त इसको काम में लायेंगे और शीघ्र ही हमारे देश में मद्य-निषेध पूर्णतया लागू हो जायेगा और इस विषय में हम समस्त संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

वर्तमान समय में आबकारी करों को लागू करने में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का खर्च होता है, पर मैं जानता हूं कि यदि हम मद्य-निषेध को लागू करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, अतः हम केवल 25 करोड़ रुपये के आगम का ही त्याग न करेंगे बल्कि मद्य-निषेध को लागू करने के लिये हमें कुछ करोड़ रुपये और खर्च करने पड़ेंगे। यह एक महान त्याग है; पर मेरे विचार से उस महान आदर्श के लिये, जिसको हमारे नेता ने अपनी मृत्यु के पश्चात् हमें सौंपा है, हमें इस त्याग के लिये आनाकानी नहीं करनी चाहिये क्योंकि अन्ततः इसका फल लोगों के लिये बड़ा सुखद और देश के लिये संतोषजनक होगा। वास्तव में हरिजनों, मजदूरों और अन्य शराबी कुटुम्बियों के लिये 100 करोड़ रुपये की बचत के रूप में लाभ के साथ-साथ अति मूल्यवान नैतिक लाभ जो कि इस भौतिक लाभ से बहुत ही अधिक मूल्यवान है और जो कि पूर्ण मद्य-निषेध का अनुवर्त्ती है—ये दोनों लाभ इस पूरे महान् त्याग के मूल्य के बराबर है। अभी उस दिन मेरे प्रान्त के प्रधानमंत्री माननीय गोविन्दबल्लभ पन्त मुझ से कह रहे थे कि कानपुर में मद्य-निषेध बहुत लाभदायक रहा और कानपुर की मजदूर जनता अब बहुत खुशहाल है और उनके कुटुम्ब जो कुछ सरकार ने किया है उसके लिये उसे धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही समस्त देश में पूर्ण मद्य-निषेध हो जायेगा और तब हम अपने मद्य-निषेध के महान् आदर्श को प्राप्त कर सकेंगे। मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष उपस्थित करता हूं।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***श्री बी. एच. खार्डेकर** (कोल्हापुर): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि मैं बहुत ही घबड़ा रहा हूं। केवल इसी परिषद् में नहीं वरन् किसी भी परिषद में यह मेरा प्रथम भाषण है। मैं यह और कह दूं कि अभी तक मैंने किसी पाठशाला अथवा विद्यालय की वाद-विवाद समिति में भी भाग नहीं लिया है। इस कारण मैं आपके अनुग्रह और उदारता को प्राप्त करना चाहूंगा विशेषकर जब कि मैं मद्य-निषेध के विरुद्ध बोलने का साहस कर रहा हूं। मैं आपसे यह तो चाहता ही हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनें।

श्रीमान्, मद्य-निषेध के पक्ष में प्रस्तुत किये गये अनेकों तर्कों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं उनका अभी वर्णन करूंगा और चूंकि मैं समझता हूं, कि बहुत ही निराधार हैं, मैं उनके सम्बन्ध में जो कुछ कहना चाहता हूं, कहूंगा। एक तर्क यह उपस्थित किया गया था कि अमरीका के विधान ने ऐसे प्रावधान किये हैं। श्रीमान्, क्या हम दूसरों की त्रुटियों से कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे? क्या हमारे सम्बन्ध में यह कहा जाने वाला है कि इतिहास से हमें कुछ भी शिक्षा नहीं मिली? अमरीका वालों ने इसे अपने विधान में रखा था, अमरीका वालों ने अपने विधान-मंडल में इसके लिये व्यवस्था की थी; परन्तु अन्त में अपने अनुभव के आधार पर उनको उसका पूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ा।

तत्पश्चात् जो दूसरा तर्क उपस्थित किया गया था वह यह था कि कांग्रेस इसके लिये वचन-बद्ध है। श्रीमान्, यह अनेकों बार स्वीकार किया जा चुका है कि इस सभा में न तो कोई सरकार है और न कोई दल। कांग्रेस अब जन-संगठन के रूप में नहीं है, वह कदाचित् एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दल है। यह तो केवल एक पारिभाषिक आपत्ति ही है। मैं इस विषय में और आगे बढ़ूं। कांग्रेस ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिये बड़े महान कार्य, अनेकों बलिदान तथा अन्य महान् सेवायें की हैं। कांग्रेस अनेकों भली बातों के लिये वचन-बद्ध है। कांग्रेस के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आपको यह विचारने का प्रयत्न करना चाहिये कि किस वचन का सर्वप्रथम पालन किया जाये। सर्वप्रथम आपको इस बात पर विचारना है कि आप करोड़ों भारतवासियों की आर्थिक और अन्य अनेकों स्थितियों को किस प्रकार उन्नत कर सकते हैं।

तीसरा तर्क जो उपस्थित किया गया है वह मद्रास में मद्य-निषेध की सफलता है। श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि इस सफलता को किस प्रकार मापा गया है।

क्या उसको इसी रूप में मापा गया है कि वहां मद्य-निषेध है? आपके यहां ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं जो अब भी मद्य-निषेध करते हैं और अनेकों जेलों को भरते चले जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या करोड़ों रुपयों की बरबादी का भी आपने अनुमान लगाया है, जिसको रोकने में आप असफल रहे? इस विचार से मद्रास में मद्य-निषेध की सफलता को मापने का क्या आपने प्रयत्न किया है?

इसके पश्चात् यह तर्क उपस्थित किया गया है कि सब सम्प्रदाय इसे चाहते हैं। उस सूची में पारसियों और ईसाइयों को भी रखा है। श्रीमान्, मैं पारसियों और ईसाइयों को थोड़ा-सा जानता हूं और मेरा यह निश्चित मत है कि वे मद्य-निषेध के पक्ष में नहीं हैं।

तत्पश्चात् अन्तिम और मेरे उत्तर देने के लिये कदाचित् सब से कठिन तर्क यह है कि गांधी जी सदैव मद्य-निषेध के पक्ष में रहे। सभा को मैं यह खूब स्पष्ट कर दूं कि गांधी जी की प्रशंसा, आदर तथा सम्मान करने में मैं किसी से भी पीछे नहीं हूं। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं; वे हम सबके पिता हैं। पर श्रीमान्, मैं कुछ कहना चाहता हूं। यहां यह कहा गया था, सम्भव है कुछ ओछेपन से यह कहा गया हो कि जहां मद्य है वहां गांधी जी नहीं और जहां गांधी जी है वहां मद्य नहीं। दूसरे शब्दों में गांधी जी पापियों से घृणा करते हैं यदि यह मान लिया जाये कि मद्यपान पाप है। गांधी जी गीता पढ़ते थे, उसका अध्ययन करते थे और मुझे विश्वास है कि वे गीता से प्रेम करते थे और गीता के विद्यार्थी होने के कारण उन्होंने वह दृष्टि प्राप्त कर ली थी जिसे मैं समदृष्टि कहूंगा। वे पापी और सन्त में कोई भेद-विभेद नहीं रखते थे। गांधी जी प्रथम संत थे और तत्पश्चात् राजनीतिज्ञ। श्रीमान्, मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें, मैं साहस करके आपसे यह पूछता हूं कि आपके विचार से गांधीवाद का क्या सार है? गांधीवाद का मुख्य सार प्रेम है, सहिष्णुता है, अहिंसा है, सत्य की खोज है तथा ऐसी ही समस्त महत्त्वपूर्ण बातें हैं। गांधीवाद का बाह्य रूप अथवा उसका बाह्य श्रृंगार खद्दर और मद्य-निषेध हैं। दुर्भाग्यवश गांधी जी के कुछ अनुयायियों ने मुख्य सार की अपेक्षा गांधीवाद के बाह्य श्रृंगार को अधिक महत्त्व दिया है। गांधी जी की सत्य पर यह धारणा थी कि यद्यपि सत्य एक है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही रीति से सत्य को समझना चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सत्य की अनुभूति प्राप्त करना आवश्यक है। यही गांधी जी ने कहा और यही गांधीजी

[श्री बी.एच. खार्डेकर]

चाहते थे। यदि हम उनका अनुसरण आंखें बन्द करके करेंगे तो दयालु पिता होने के नाते यद्यपि वे हमारे बीच में अब नहीं है और सच बात तो यह है कि इस सभा में उनकी विदाई के बाद भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो तोतले बच्चों के समान हैं और राष्ट्रपिता के गौरव में धब्बे के समान है—उनका मन इस बात से खिन्न होगा कि वे हमको अपनी विवेक-बुद्धि से विचार करना न सिखा सके, तो श्रीमान्, क्या हमारे लिये केवल यह कहना ठीक होगा कि यह हमारे राष्ट्रपिता का कथन है अत: बाबा वाक्य प्रमाणम् के न्याय से हमें यह मान्य होना चाहिये। मैं पूछता हूं कि क्या हमारे जीवन का यही चरम सत्य होगा? हम ऐसे युग में पैदा हुये हैं जिसमें चाहे और कितनी ही कमियां क्यों न हों पर जिसमें इस बीसवीं शताब्दि में एक खूबी अवश्य है। और वह खूबी यह है कि यह युग जिज्ञासा का युग है। आजकल के नवयुवक चुनौती देना चाहते हैं और स्वयं ही सत्य की खोज करना चाहते हैं, जैसा कि फ्लेचर ने कहा: ''यदि ईश्वर भी नारकीय दु:खों में दग्ध करना चाहे तो जब तक वह उत्तर न दे तब तक मैं उससे पूछता रहूंगा कि ऐसा क्यों''। यदि ईश्वर मुझ से किसी कार्य को करने के लिये कहे तो भी मैं आंखें बन्द कर उस कार्य को नहीं करूंगा। हम भेड़-बकरियों की तरह से हांके नहीं जा सकते हैं। हम इस संघर्ष में योद्धा की तरह सम्मिलित होना चाहते हैं। सर जार्ज बर्नार्ड शा ने लगभग ऐसा ही कहा है: ''परीक्षा करिये, जांचिये और फिर मानिये।'' यदि आप संस्कृत साहित्य से रुचि रखते हैं तो कालीदास भी न्यूनाधिक रूप में यही कहते हैं:

''सन्त: परीक्ष्यान्यतरत् भजन्ते, मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धि''

तर्कों का उत्तर देने की अपेक्षा मुझे भाषण के वास्तविक पक्ष पर आना चाहिये। व्यावहारिक पक्ष में मैं यह कहूंगा कि मद्य-निषेध को अभी रोके रखना चाहिये—तथा इस अपने अभागे देश में जिसका भाग्य कल ही तो जागा है इसे बहुत काल के लिये रोके रखना चाहिये। श्रीमान्, व्यावहारिक पक्ष में मैं एक महान् विचारक के भाव उद्धृत कर दूं तो ठीक होगा। वे कहते हैं कि जीवन में दो महत्त्वपूर्ण मोर्चे हैं, पहला युद्ध का मोर्चा है और दूसरा मोर्चा है शिक्षा का। युद्ध कब होगा यह केवल ईश्वर जानता है; किसी समय भी महान् युद्ध छिड़ सकता है और हमें उसके लिये तैयार रहना चाहिये। काश्मीर में कुछ संकट है; हैदराबाद में

संकट था। हमें तैयार होना पड़ा। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमारा देश बहुत गरीब है और हमें अपने समस्त साधनों को जुटा लेना चाहिये जिससे कि हम सर्व प्रमुख बात की ओर प्रथम ध्यान दे सकें। जिस देश में प्रजातंत्र को उन्नत करना है, जिस देश में प्रजातंत्र शैशवकाल में है उस देश में शिक्षा का मोर्चा बड़ा महत्त्वपूर्ण है। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है लोगों की भयप्रद परिस्थितियों से तो आप परिचित ही हैं। अनेकों देशों में साठ से सत्तर वर्ष पूर्व नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का पुर:स्थापन किया गया था। स्वतंत्रता के फलस्वरूप यह हमारा प्रथम कार्य होना चाहिये। हमने विधान के मसौदे में इस प्रकार के खंड को रखने की आवश्यकता पर कल ही तो वाद-विवाद किया है। हमारे जैसे देश में अनिवार्य नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा भी यथेष्ट नहीं होगी क्योंकि गरीब बच्चा खेत जोतते-जोतते कुछ वर्षों के पश्चात् अपने हस्ताक्षर तक करना भूल जाता है, अत: इस कारण से तो पिछड़े हुये सम्प्रदायों के लिये, मैं तो यह कहूंगा कि गरीबों के लिये माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिये। श्रीमान्, हम प्रजातंत्र के शैशवकाल में हैं और यदि हम सच्चा प्रजातंत्र लाना चाहते हैं तो हमको शिक्षा देनी चाहिये। आप इस प्रसिद्ध कहावत से परिचित हैं कि ''शिक्षा विहीन प्रजातंत्र असीम पाखण्ड है।'' हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जिसमें कि थोड़े से व्यक्ति जो ज्ञानवान है वे ही प्रशासन करें और हमारी सरकार फासिस्ट सरकार हो जाये। यदि हम आज मद्य-निषेध पर अधिक जोर देंगे तो हम अपने अनेकों होनहार बच्चों को ठीक-ठीक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखेंगे और इसका फल यह होगा कि जहां हमारा ध्येय असाम्प्रदायिक प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना है वहां हम वास्तव में एक ऐसी सरकार बना डालेंगे जो धार्मिक फासिस्ट सरकार से किसी प्रकार भी कम नहीं। श्रीमान्, मैं आपको यह एक चेतावनी दे रहा हूं।

शिक्षा के सवाल के अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य और दवाई दारू के भी सवाल है। आप में से अनेकों बड़े ईमानदार और सच्चे कार्यकर्त्ता हैं और आप गांवों में गये हैं। मैं जब कभी गांवों में गया हूं तो मैंने देखा है कि गरीब ग्रामीण को कोई भी भैषजीय सहायता नहीं मिलती है। हजारों कोढ़ी हैं जिनको भैषजीय सहायता की आवश्यकता है, पर यदि इन सब बड़ी-बड़ी सहायताओं को दिया जाता है तो रुपया कहां से आये? अत: हमको प्रमुख वस्तु को प्रथम लेना चाहिये। हमारा सबसे बड़ा शत्रु गरीबी है और जब तक हम अपने साधनों को नहीं जुटाते और

[श्री बी.एच. खार्डेकर]

प्रमुख बातों को पहले नहीं लेते और जब तक हमको भले बुरे की पहचान नहीं होती तब तक मेरे विचार से हम गड़बड़ में पड़े रहेंगे।

श्रीमान्, इस बात से आपको सम्भवत: आश्चर्य तो होगा पर फिर भी मैं मद्य-निषेध के नैतिक पक्ष के सम्बन्ध में अथवा उसके विपक्ष में यहां कुछ कहना चाहता हूं। हैरल्ड लेस्की की ''आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता'' नामक पुस्तक के उस उल्लेखनीय अध्याय को पढ़ने की सिफारिश करता हूं जिसमें उन्होंने मद्य-निषेध की व्याख्या की है। मुझे पुस्तक नहीं मिली, इस कारण मैं उसके उदाहरण पढ़कर नहीं सुना सकता परन्तु उनका मुख्य तर्क यह है कि मद्य-निषेध वैयक्तिक स्वतंत्रता की जड़ पर कुठाराघात के समान होता है। हमारा लक्ष्य है कि स्वतंत्र भारत में व्यक्ति का चरम विकास हो, किन्तु अरमानों का गला घोटकर, असंख्य पाबन्दियां लगाकर, मन की चेष्टाओं को छिपा कर या दमन करके तो हम युवाओं के विकास का रास्ता ही बन्द कर देंगे। मेरे इस कथन का यह तात्पर्य नहीं कि हम युवाओं को मद्यपान के लिये प्रोत्साहित करें किन्तु हमको उन्हें अपनी गलती जानने का अवसर तो देना ही चाहिये तभी तो उन्हें स्वतंत्रता से—और स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य उच्छृंखलता नहीं है—उनको पूरा-पूरा लाभ होगा। तत्पश्चात् श्रीमान्, विचारिये—मैं यहां कोई व्यर्थ बात नहीं कह रहा हूं—परन्तु सामाजिक जीवन को जो पक्का लगेगा उसे विचारिये—क्लब जीवन का तो अन्त ही हो जायेगा, और मेरा निवेदन है कि आप दो बातों की तुलना करें, पहली बात है कुछ मित्रों का सायंकाल या रात्रि को मट्ठा भरे ग्लास को पीते हुये पूर्ण गम्भीरता से वाद-विवाद करना और दूसरी शराब या बियरू के ग्लास को पीते हुये निर्दोष परन्तु बौद्धिक वाद-विवाद। यूनानियों में इसका प्रचार था। सच्चे दार्शनिक जानते हैं कि दोनों लोकों का किस प्रकार उपभोग किया जाये और दर्शन तथा विज्ञान की नींव महान् यूनानियों द्वारा ही रखी गई थी। उनमें न तो निषेध थे, न इच्छाओं के दमन का आदर्श था और न शमन का विचार। सच तो यह है कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तो उसी रीति से होता है यदि आप बम्बई जैसे नगर के जीवन की मद्य-निषेध के दिनों में और मद्य-सेवन के दिनों में परस्पर तुलना करें तो श्रीमान्, आप शुष्क दिनों में वास्तव में उसे शुष्क तथा नीरस जीवन पायेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसका अनुभव करें। आप यह सोचते होंगे कि यह सब धनिकों के लिये है। पर यह

याद रखना चाहिये कि क्लब में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति धनी नहीं है। परन्तु गरीबों के लिये इस बारे में क्या भेद है? मिल के करोड़ों मजदूरों के सम्बन्ध में विचारिये जो सारे दिन घोर श्रम करते हैं सायंकाल को वे एक या दो ग्लास ताड़ी का पीना चाहते हैं जो वास्तव में नीरा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और यदि कुछ पोषक तत्त्वों (विटामिनों) के साथ-साथ उसे कुछ विनोद या आनन्द प्राप्त होता है तो आप उसे इससे क्यों वंचित रखते हैं? श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि आप उस सान्त्वना और थोड़ा आराम जो उसे ऐसा करने से मिलता है उसके बारे में भी सोचें। हम लोगों में से कुछ डा. अम्बेडकर जैसे भी व्यक्ति है जिनको पठन से बहुत शांति मिलती है। ऐसे भी हैं जो उपन्यास पढ़ना पसन्द करते हैं और कुछ एक ग्लास शराब या बीयर लेना पसन्द करते हैं। इस बारे में मैं एक फर्क की ओर आपका ध्यान खींच दूं क्योंकि सम्भव है कि आप में से बहुत से यह नहीं जानते कि आखिरकार कितने लोग मद्य पान करते हैं। मैं अर्थ शास्त्रियों तथा परिगणितज्ञों से निवेदन करूंगा कि वह यह मालूम करे—परन्तु मैं यह साहसपूर्वक कह सकता हूं कि इनकी संख्या दस प्रतिशत से अधिक न होगी और आप में से अनेकों इस महत्त्वपूर्ण तथ्य से अपरिचित हैं और आप नहीं जानते कि पीने वाले और पियक्कड़ों से बहुत अन्तर है। दस प्रतिशत पीने वालों में से 9 प्रतिशत पियक्कड़ नहीं हैं वे केवल मित्रों के साथ एक या दो ग्लास पी लेते हैं—और एक प्रतिशत जो कि पियक्कड़ हैं—वे ऐसे लोग हैं जो बुरी हालतों में पड़कर आशा को विदा कर चुके हैं और गम गलत करना चाहते हैं—और भी अगणित कारण हो सकते हैं—यदि आप कानून द्वारा उन्हें पीने से वंचित रखेंगे तो वे अवैध रूप से शराब बनायेंगे। यदि वे ऐसा नहीं कर सके और आपकी व्यवस्था पूरी सिद्ध हुई—यद्यपि मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हमारी व्यवस्था उत्कोच तथा भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त है और उसको ऐसा करने के लिये यह एक और सहारा मिल जायेगा—परन्तु इसके अतिरिक्त भी यदि आप उन्हें शराब से वंचित कर देते हैं तो वे विषैले पदार्थ पीने लग जायेंगे और भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होंगे। अतः इस 1 प्रतिशत जनता के लिये क्या आप इतना अधिक धन, टनों के टनों रुपये अरब सागर में फेंकने के लिये उद्यत हैं केवल इस आधार पर कि इसके पीछे एक प्रकार की धार्मिक भावना है? आप यह धार्मिक विचार रख सकते हैं कि मदिरा-पान करना पाप है। यह माना जाता था अथवा माना जाता है कि देवता-सुरा-पान करते थे। मनुष्य मदिरा-पान कर सकते हैं। इसमें क्या हानि

[श्री बी.एच. खार्डेकर]

है? और फिर मैं यह भी बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम लोगों को क्यों वंचित करें? हम इस बात पर विचार करें कि भारत को वास्तव में किस बात की आवश्यकता है। मद्य-निषेध करना और बहुत पवित्र होना बहुत अच्छा है और ये महान् गुण हैं जिनको सभ्य राष्ट्र भी व्यवहार में नहीं ला सके हैं। श्रीमान्, हममें तो सामान्य शिष्टता तथा ईमानदारी का अभाव है। अति प्रिय तथा अति आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, के जूते खो जाते हैं। यूरोप के देशों में न्यूनातिन्यून सम्मान प्राप्त नेता के भी यदि वह किसी उत्सव में सम्मिलित होता है तो जूते नहीं खो सकते। अन्तर यह है कि ईमानदारी के सदृश मुख्य गुणों, आधारभूत गुणों को हमें सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिये। आप बहुमत के दल के हैं और आप जो कुछ चाहे निश्चय कर सकते हैं। मेरा आशय यह नहीं है कि आप मद्य-निषेध होने ही न दें परन्तु यह है कि आप कुछ समय ठहरें—और मैं टाइम्स आफ इंडिया के सम्पादक के शब्दों को उद्धृत करते हुये कहूं कि मद्य के अतिरिक्त अन्य भी वस्तुयें हैं जो सर पर सवार हो जाती है और उनमें से एक शक्ति है। बहुमत दल इसका शिकार न बने।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता हूं कि आपके सामने मेरा यह निवेदन नियमानुकूल है या नहीं कि इस संशोधन को तब तक स्थगित किया जाये जब तक कि हम परामर्शदातृ समिति की उन सिफारिशों पर विचार न कर लें, जो उसने विशेषकर वनजाति-क्षेत्रों के सम्बन्ध में की हैं। अभी तक परामर्शदातृ समिति तथा उप-समितियों की सिफारिशों पर इस सभा में पूर्ण वाद-विवाद करने का अवसर नहीं दिया गया है। इसलिये अभी मैं बारीकियों में नहीं जाना चाहता परन्तु इस प्रकार के संकल्प तथा संशोधनों के विरोध करने के लिये मैं कटिबद्ध हूं। प्रजातंत्रात्मक तथा असाम्प्रदायिक राज्य की स्थापना तथा दैवी सत्ता के हमारे आन्तरिक विरोध के बारे में हम लोग पर्याप्त से अधिक लम्बी-चौड़ी बातें सुन चुके हैं। किन्तु इस प्रावधान द्वारा श्रीमान्, इस देश की प्राचीनतम जाति के धार्मिक अधिकारों में हम छिपी रीति से हस्तक्षेप करने में प्रयत्नशील हैं। आप हंस सकते हैं किन्तु किसी भी वस्तु की अति ठीक नहीं होती। यदि आप बहुत चावल खा जायेंगे तो आपके लिए खराबी होगी। ऐसी अनेकों

वस्तुएं हैं जिनका आप अति-सेवन करते हैं। पर यदि आप किसी भी वस्तु का उचित अनुपात में सेवन करें तो वह आपके लिये लाभदायक होगी। मदिरा-पान का अति में प्रयोग होता है जिससे किसी को भी लाभ नहीं होता, परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि हम शीघ्रता में विधान में कोई ऐसी बात न रख दें जिससे जितनी कटुता वर्तमान है उससे भी अधिक कटुता हो जाये। परामर्शदातृ समिति में हमारे वाद-विवाद के अन्तर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुझ से सीधा प्रश्न किया था और वह यह था: ''क्या यह मज़हबी चीज है?'' उस अवसर पर परामर्शदातृ समिति के प्रधान माननीय सरदार पटेल ने मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया था। जहां आदिवासियों का सम्बन्ध है चावल तथा बीयर के बिना उनका कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता है। जिन शब्दों का यहां प्रयोग किया गया है वे हैं ''नशीले पेय पदार्थ''। श्रीमान्, यह वस्तु वर्णन का बड़ा अस्पष्ट ढंग है। दूसरे शब्द जो यहां दिये हुये हैं वे हैं: ''स्वास्थ्य के लिये हानिकर''। मेरे मित्र शिब्बनलाल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मद्य-निषेध से आर्थिक क्षेत्र में कार्य कुशलता की वृद्धि होती हैं वे सोचते हैं कि यदि मद्य-निषेध लागू हो जायेगा तो श्रमिकों की आर्थिक उन्नति होगी। मुझे विश्वास है कि आर्थिक उन्नति होगी। परन्तु मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि केवल उद्योग से सम्बन्धित श्रमिकों पर ही जो कि उनके ध्यान में विशेष रूप से हैं इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं उनको बहुत ही गरीब लोगों—आदिवासियों—की स्थिति को बताना चाहता हूं और आदिवासियों के सम्बन्ध में जो कुछ मैं कहूंगा उसको पश्चिमी बंगाल तथा अन्य स्थानों से आये हुये सदस्य स्वीकार करेंगे। पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा तथा अन्य स्थानों में आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है। उदाहरणस्वरूप यदि संथाल को चावल की बीयर न मिले तो पश्चिमी बंगाल में धान की पौद रखना असम्भव हो जायेगा। इन कुवेशधारी व्यक्तियों को अपने निरे आवश्यक उपकरणों ही पूर्ति के अभाव में भी समस्त दिन मूसलाधार वर्षा और कीचड़ में, घुटने-घुटने पानी में काम करना पड़ता है। चावल की बीयर में ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनको जीवित रखती है? मेरी इच्छा है कि इस देश के भैषजीय प्राधिकारीगण अपनी प्रयोगशालाओं में यह मालूम करने के लिये अनुसंधान करें कि वह कौन सी वस्तु चावल की बीयर में है जिसकी आदिवासियों को इतनी आवश्यकता है और जो उनको सर्व प्रकार के रोगों से मुक्त रखती है।

[श्री जयपाल सिंह]

श्रीमान्, मैं इस कारण इस संशोधन का विरोध नहीं कर रहा हूं कि मैं मदिरा-पान को देश में बढ़ाना चाहता हूं। मैं यह देखने के लिये उत्सुक हूं कि आदिवासी इस मदिरा-पान के व्यसन से अपने आपको हानि न पहुंचायें। परन्तु यह धार्मिक आवश्यकता तथा धार्मिक कृत्यों में मद्य के विशेष प्रयोग से सर्वथा परे है; हम उन्हें संयम युक्त जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देंगे। मैं इस सबका समर्थक हूं। परन्तु यह संशोधन हानिकर है। यह मेरे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। आप इसे चाहे विधान में रखें या नहीं परन्तु मैं अपने धार्मिक विशेषाधिकारों का परित्याग करने के लिये उद्यत नहीं हूं। (वाह, वाह)

***उपाध्यक्षः** शान्ति, शान्ति।

***श्री जयपाल सिंहः** श्रीमान्, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं इस सब की व्याख्या उस समय करूंगा जब कि हम उन सिफारिशों पर विचार करेंगे जो परामर्शदातृ समिति ने परिगणित वनजातियों तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में की हैं। इस समय यह ठीक नहीं है कि मैं बारीक बातों में जाऊं। यहां तो मैं माननीय सदस्यों को केवल यह बताना चाहूंगा कि शीघ्रता न करना ही अच्छा है और मैं आपसे यह निवदेन करूंगा कि इस संशोधन को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाये जब तक कि हम परामर्शदातृ समिति द्वारा परिगणित वनजातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर विचार न कर लें; क्योंकि यदि हम अभी इस विषय पर निश्चय कर लेंगे तो हम स्वयं एक त्रुटि करेंगे। हम एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और वर्तमान समय में एक असहाय राजनैतिक अल्पसंख्यक दल के साथ अन्याय करेंगे। यद्यपि वे 3 (तीन) करोड़ हैं परन्तु उनमें ऐसे केवल एक दर्जन ही होंगे जो यहां उनकी ओर से बोल सकते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जिसको कि लोगों की इच्छाओं पर निर्भर रखना चाहिये। हम कठिन समय में से गुजर रहे हैं। हमारे लिये यह ठीक नहीं कि इन कठिनाइयों को हम और बढ़ायें। श्रीमान्, मुझे इससे अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस संशोधन का विरोधी हूं और आपसे मेरा यही नम्र निवेदन है कि इस संशोधन पर आगे विचार तभी किया जाये जब कि हम परिगणित वनजातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में निर्णय कर लें।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले** (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस सर्वोच्च सभा के दो सदस्यों ने यहां आकर यह कहा कि मद्य-निषेध को स्थगित किया जाये। पहले मैं अपने माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह के विचारों को लूं। उनका दावा है कि वे आदिवासियों—पहाड़ी वनजातियों तथा मूल निवासियों—के प्रतिनिधि हैं मुझ जैसा एक विनम्र सदस्य जो आदिवासियों तथा पहाड़ी वनजातियों के क्षेत्र से आया हुआ है, उनको यह बता सकता है कि मूल निवासियों के उत्सवों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिये शराब, ताड़ी, ब्रान्डी या ऐसी किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो। श्रीमान्, मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मेरे मित्र ने कभी टोडा जाति के किसी भी व्यक्ति को देखा है या नहीं। यह चरवाहा जाति है और नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। वे ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां वर्षा का भयानक प्रकोप रहता है। श्रीमान्, जब अंग्रेज आये वे विस्की की बोतल साथ लाये और जब वे यहां के प्रशासन से चले गये हैं तो हमें भी यह समझ लेना चाहिये कि शराब का भी लोप हो गया। जीवन भर उन लोगों का मद्य नाम जैसी वस्तु से परिचय होता ही नहीं है। किन्तु यह बात बड़ी अजीब सी लगी कि आज उन अभागी जातियों के लिये श्री जयपाल सिंह को वकालत करनी पड़ी। कोटहास, इरुलास, पानियास, कुरुमबासी, बडागास तथा अन्य ऐसी अनेकों जातियां हैं जो मद्रास प्रान्त में आदिवासियों की श्रेणी में आती हैं। परन्तु वहां (मद्रास प्रान्त में) इनमें से किसी भी जाति ने कभी भी आगे बढ़ कर अधिकारियों से यह आग्रह नहीं किया कि मद्यपान की उनको फिर से आज्ञा मिल जाये। यह आश्चर्यजनक बात है कि मेरे मित्र, जो मूल निवासियों के प्रति इतनी सहानुभूति रखते हैं, उनके लिये मद्यपान का समर्थन करते हैं। मैं उनसे यह कहूंगा कि वास्तविक व्यवहार में इन सब जातियों को मद्य-निषेध के पुर:स्थापन के पश्चात् मद्रास प्रान्त में बहुत ही लाभ हुआ है। कोल्हापुर के एक और मित्र ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह कर तथा अन्य सब प्रकार से प्रशंसा की है। परन्तु दुर्भाग्यवश जो कुछ महात्मा गांधी ने हमसे कहा उसका पालन करने में वे अशक्त हैं। चार रचनात्मक कार्यों में महात्मा गांधी ने मद्य-निषेध को सबके ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि उनको यह मालूम हुआ कि देश का सर्वनाश हुआ जा रहा है और गरीब लोग अपनी समस्त आय मद्य-पान पर खर्च कर रहे हैं और अपने बच्चों तथा परिवार को पूर्णतया निर्धन तथा अभावग्रस्त

[श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले]

बना रहे हैं। मुझे इस बात का खेद है कि मेरे मित्र ने इस बारे में ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है और इस संशोधन का विरोध किया है। जो सार्वजनिक लाभ के लिये इस सर्वोच्च सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मद्रास प्रान्त ने लगभग सत्रह करोड़ रुपये की हानि उठाई है। परन्तु मद्रास के लोग एकमत होकर उठे और कहा: ''इन सत्रह करोड़ रुपयों की चिन्ता न करें। हम चाहते हैं कि नागरिक तथा गरीब लोग स्वस्थ रहें, शान्तिप्रिय रहें'' श्रीमान्, मद्य-निषेध ने मद्रास प्रान्त को शांति दी है और अनेकों लाभ दिये हैं। मद्य-निषेध से लोगों के स्वास्थ्य में बहुत उन्नति हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। मैं आपको यह बता दूं कि हरिजनों की ऐसी अभागी कौमें थीं जिनसे उच्च वर्ण के हिन्दू और मीरासदार लोग निम्न कार्य कराते थे और धन के रूप में उनको वेतन नहीं देते थे वरन् शराब बेचने वालों के नाम पर्ची दे देते थे जिससे कि वे वहां जायें और पीयें। परन्तु अब ये बातें वहां से मिट गई हैं और इस पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि मद्य-निषेध ने मेरे प्रान्त को शांति दी है और अनेकों लाभ दिये हैं। अत: मैं प्रो. सक्सेना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उन मित्रों का विरोध करता हूं जो मद्य-निषेध को स्थगित करने के लिये कहते हैं।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, यह कदाचित् दुर्भाग्य की बात है कि कोल्हापुर के नवागन्तुक महोदय ने प्रथम बार ही हमारे विधान-निर्माण में बहुत ही प्रमुख निदेशक पर हमला करने का अवसर निकाला। प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना ने यह सुझाव रखा है कि अनुच्छेद 38 के अन्त में निम्न वाक्यखंड बढ़ा दिया जाये:

> ''राज्य स्वास्थ्य के लिये हानिकर नशीले पेय पदार्थों तथा भैषजों के सेवन के निषेध का प्रयास करेगा।''

***श्री महावीर त्यागी:** इस संशोधन पर मेरा अधिकार है न कि प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना का। (*करतल ध्वनि*)

***माननीय श्री बी.जी. खेर:** मैं माननीय श्री महावीर त्याागी या अन्य किसी सदस्य के जो इसका श्रेय लेना चाहते हैं अधिकारों को हरण करने का

विचार नहीं रखता। मैं उस अधिकार को प्रदान करने के लिये पूर्णतया इच्छुक हूं।

संशोधन में आगे कहा गया है कि ''भैषजिक प्रयोजनों को छोड़ कर''। इस बात से कि ये महानुभाव इस संशोधन का विरोध करते हैं यह स्पष्ट है कि वे चाहते है कि राज्य स्वास्थ्य के लिये हानिकर नशीले पेय पदार्थों और भैषजों का सेवन करने दें।

मैं मद्य-निषेध पर अधिक नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत समझ बुझ कर तथा दीर्घ वाद-विवाद के पश्चात् बहुत सी प्रान्तीय सरकारों ने तथा बहुत से उन लोगों ने जो इस देश की उन्नति में रुचि रखते हैं नशीले पदार्थों और शराब के सेवन से अपने लोग जो अपना सर्वनाश कर लेते हैं उससे उन्हें बचाने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है। उनका विश्वास है कि मानव जाति की उचित रूप में तब तक उन्नति नहीं होगी जब तक कि बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति के साथ-साथ नैतिक उन्नति को यथेष्ट महत्त्व नहीं दिया जाता और वर्तमान समय में यह तर्क प्रस्तुत करना बहुत पुरानी बात है कि नशीले पदार्थों और शराब के प्रयोग से मनुष्य की नैतिक शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह दीपक जो आपको उचित तथा अनुचित में भेद विभेद करने का प्रकाश देता था बुझ गया है और इस कारण यह वैयक्तिक स्वतंत्रता का विषय नहीं है जिस तर्क का कि कोल्हापुर के माननीय प्रतिनिधि ने प्रयोग किया है। आत्मघात करने के लिये वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति के दीर्घ काल तक जीवित रहने में समाज की रुचि है और इस कारण मुझे इतनी अधिक अज्ञानता देखकर आश्चर्य हुआ जो कि आज प्रान्तों में मद्य-निषेध की व्यवस्था के फलस्वरूप यहां प्रकट की गई, सोची गई और अनुभव की गई है। बहुत आबकारी-कर लेकर और उसे शिक्षा पर खर्च करने से तो सर्वोत्तम शिक्षा यही है कि लोगों को मद्य-पान तथा नशीली भैषजों से बचने की शिक्षा दी जाये।

आबकारी-कर के आगम के रूप में राज्य के प्रत्येक रुपये की प्राप्ति से समाज को अपराध वृद्धि, रोग वृद्धि और कौशल-क्षति द्वारा तिगुने धन की हानि होगी। यह अर्थशास्त्रियों द्वारा मान लिया गया है। उन माननीय महोदय ने जिन्होंने आदिवासियों का पक्ष समर्थन किया है हमसे यह कहा कि इस बारे में और रसायनिक अनुसंधान होना चाहिये। बहुत रसायनिक अनुसंधान हो चुके हैं और लोग इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि शराब तथा हानिकर भैषजों का सेवन (इस खंड

[माननीय श्री बी.जी. खेर]

में जिनकी व्याख्या की गई है) वास्तव में स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। एक माननीय सदस्य ने नीरा का उल्लेख किया हैं बम्बई सरकार सैकड़ों नीरा-केन्द्र खोल रही है क्योंकि उफान आने और ताड़ी बनने के पूर्व नीरा-पान करना स्वास्थ्य-वर्द्धक है और इसीलिये हम लोगों को नीरा-पान करने दे रहे हैं। परन्तु इस समय तो हम उन नशीले पेय-पदार्थों और भैषजों पर विचार कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। क्या उन महानुभावों का यह विचार है कि राज्य स्वास्थ्य के लिये हानिकर नशीले पदार्थों और भैषजों के निषेध का प्रयास न करे? जो कि और भैषजीय अनुसंधान, वैयक्तिक स्वतंत्रता अथवा भैषजीय लाभ जैसे जीर्ण तर्कों का प्रयोग करते हैं। वे अपनी ही अलग दुनिया में निवास करते हैं क्योंकि जिस प्रान्त ने भी (उदाहरणस्वरूप, मद्रास और बम्बई) मद्य-निषेध का पुरस्थापन किया है वह इस परिणाम पर पहुंचा है कि उन लोगों को जो इन मद्य-पदार्थों का सेवन करने के आदी थे आज इतना अधिक लाभ हुआ है कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारे पास मजदूरों के परिवारों और अन्य लोगों के जो बहुत ही मद्य-पान करते थे कृतज्ञता-सूचक पत्र न आते हों। इस बात पर कि केवल 10 प्रतिशत समाज इसका आदी है और इसलिये समाज को इसके प्रति कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये और अधिक आलोचना करने की आवश्यकता नहीं।

मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि आदिवासियों के प्रतिनिधान करने वाले एक माननीय सदस्य ने इस संशोधन को दोषपूर्ण बताया। इसी प्रकार से मनुष्यों की बुद्धि में विकार उत्पन्न कर दिया जाता है। मुझे यह देखकर हर्ष हुआ कि इस संशोधन के पुरस्थापन करने के मुख्य लक्ष्य को माननीय डा. अम्बेडकर ने जिनके अधिकार में यह विधेयक है, स्वीकार कर लिया है और इससे और आगे बुराई का होना बन्द हो जायेगा। क्या यह तर्क उपस्थित किया गया है कि नशीले पदार्थों और हानिकर भैषजों के सेवन से सदाचार बढ़ता है? मैं अपने तर्क की पुष्टि में महात्मा गांधी को उद्धृत नहीं कर रहा हूं परन्तु उन्होंने यह कहा था कि वे तब तक किसी भी सामाजिक सुधार को महत्त्व नहीं देंगे जब तक कि राज्य नशीले पदार्थों और भैषजों के सेवन के निषेध के प्रश्न को हाथ में नहीं लेगा। सब से पहला सुधार जिसके लिये उन्होंने समस्त प्रान्तों से आग्रह किया वह इस हानिकर

वस्तु को रोकने का था। इस देश में समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग ने चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो और यहां तक कि ईसाइयों ने भी मादक द्रव्यों और भैषजों का प्रयोग एक व्यसन ठहराया है।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास : जनरल): नहीं—पाप माना है।

**माननीय श्री बी.जी. खेर:** मेरा आशय पाप से ही है। मद्यपान उन पांच घोर पापों में से एक है जिनका उल्लेख स्मृतियों में हैं और ऐसा हठधर्मी तथा ईर्ष्या के कारण नहीं किया गया है परन्तु महान् अनुभव के परिणामस्वरूप। आज अमरीका जाइये, मुझे ऐसे अनेकों व्यक्ति मिले जिन्होंने सच्चे हृदय से खेद प्रकट किया कि वे मद्य-निषेध में सफल नहीं हो सके। वे इसमें क्यों सफल नहीं हो सके? केवल इसलिये कि वे इस विष का प्रयोग बहुत काल से करते चले आ रहे हैं और इतना समय बीत गया है कि अब वे उसे छोड़ नहीं सकते। परन्तु उन लोगों का एक भाग जिसके हृदय में अपनी जाति तथा देश की भलाई के भाव हैं अब भी चाहता है कि मानव जाति को उस अधोगति से बचाया जाये जो कि मादक द्रव्यों के प्रयोग तथा समाज में इनके प्रयोग को सम्मानपूर्ण बनाने के कारण होगी। अत: यद्यपि दोनों हिन्दुओं तथा मुसलमानों के लिये भी यह पाप है परन्तु अंग्रेजों के आने के पश्चात् मादक द्रव्यों का प्रयोग फैशन, उन्नति और सभ्यता का चिह्न हो गया। यह वास्तव में सच है कि इन तीन बुराइयों का—कुछ चन्द व्यक्तियों द्वारा किसी रूप में भी मद्य-सेवन, जुआ और रंडीबाजी—सदैव के लिये भूमंडल से उन्मूलन करना असम्भव है। परन्तु यदि प्रत्येक शिष्ट सरकार का यह उद्देश्य हो कि समाज, स्वस्थ, सुखी और सदाचारी हो तो उसका यह प्रयास होना चाहिये कि मानव समाज को इन तीन दोषों से रोका जाये।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

श्रीमान्, यह केवल इस कारण है कि यूरोप से आये हुये हमारे मित्र मदिरा के प्रति कुछ और ही विचार रखते थे और इसलिये इस देश के लोग भी मदिरा के प्रयोग को सम्मानपूर्ण समझने लगे। इससे पूर्व कि यह बुराई इतनी जड़ पकड़ जाये कि हम भी यूरोप और अमरीका वालों की तरह इस परिणाम पर पहुंचें कि लोगों को मद्य-पान से रोकना असम्भव है यह आवश्यक है कि राज्य इस सुधार को अपना ले और ऐसा करने के लिये यही समय उपयुक्त है। यह बात केवल इसी देश में हित के लिये नहीं है वरन् इसमें संसार तथा मानव जाति का भी सामान्य रूप से हित है।

[माननीय श्री बी.जी. खेर]

आदिवासियों के प्रतिनिधान करने वाले माननीय सदस्य के तर्क से मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। श्री ठक्कर यहां उपस्थित हैं; उन्होंने अपना समस्त जीवन आदिवासियों की सेवा में बिता दिया है और मुझे विश्वास है कि वे इस संशोधन के सिद्धांत से पूर्णतया सहमत हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये लोग मदिरा-पान के आदी हैं और उनको धीरे-धीरे शिक्षित करना होगा और यही इस संशोधन से मंशा है, अर्थात् मादक द्रव्यों तथा भैषजों के सेवन का निषेध जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकर हों। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक द्रव्यों तथा भैषजों को प्रोत्साहन देना पसन्द न करेंगे।

मैं इस संशोधन का जोरदार समर्थन करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** क्या माननीय सदस्य डा. अम्बेडकर इस संशोधन को स्वीकार करते हैं?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** जी, हां।

***उपाध्यक्ष:** मैं एक संशोधन को छोड़ गया हूं। आशा है सभा मुझे इस त्रुटि के लिये क्षमा करेगी। सूची 3 में वह सं. 81 है और सरदार भूपेन्द्रसिंह मान का है। क्या वे उसे पेश करना चाहते हैं?

***सरदार भूपेन्द्रसिंह मान** (पूर्वी पंजाब : सिख): साहिबे सदर, मैं यह चाहता हूं कि जहां यह अलफाज़ ड्रिक्स और ड्रग्स हैं उनके दर्मियान लफ्ज टुबैको भी बढ़ा दिया जाये। साहिबे सदर, मैं जानता हूं कि इस तरमीम को पेश करते हुए मैं हाउस के बारसुख मैम्बरान की नाराजगी मोल ले रहा हूं और मैं यह भी महसूस करता हूं कि मैं अक्सीरियत के मिज़ाज़ के खिलाफ जा रहा हूं। जब मैं त्यागी साहब को इस ओमेशन के मुताल्लिक याद दिलाना चाहता हूं तो मैं उनके अपने बताये हुए इम्तिहान पर इस चीज को तोलते हुए पेश करता हूं। उन्होंने दो चीजें पेश की हैं कि वह नशे जो सेहत के लिए खराब हों और खतरनाक हों वह बन्द कर दिए जायें। अगर इसी इम्तिहान को ले लिया जाये कि आया यह नशा है या नहीं और आया यह सेहत के लिए खराब है या नहीं, तो मुझे पूरा यकीन है कि तम्बाकू नशा है और सेहत के लिए शराब से बढ़ कर खराब है। यह

डाक्टरों की समझी बूझी राय है कि तम्बाकू में जो जहर निकोटीन होता है, वह निहायत मुहल्लक किस्म का जहर है। देहातों को ले लीजिये, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि शराब तो उनको कभी-कभी मिलती होगी, लेकिन जहां तक तम्बाकू का ताल्लुक है, वहां के लोग रात-दिन चिलम और हुक्का खींचते हैं और सुस्ती की वजह से जो उनके निहायत जरुरी काम है वह रह जाते हैं। एकोनोमिक हालात का जहां तक ताल्लुक है, मैं यकीन दिलाता हूं कि तम्बाकू की वजह से शराब से कहीं ज्यादा नुकसान होता है। इससे लाखों नहीं करोड़ों रुपया बाहर जाता है। जब यह देखा जाता है कि यह वाकई मुहल्लक है और नशे की चीज है तो मैं कोई वजह नहीं समझता कि क्यों त्यागी साहब ने जहां शराब और दूसरी ड्रग्स का जिकर किया है वहां तम्बाकू को छोड़ दिया। शायद इसलिए कि अक्सीरियत इसे इस्तेमाल करती है लेकिन यह कोई दलील नहीं हो सकती। कहा जाता है कि अगर थोड़ी सिगरेट या बीड़ी इस्तेमाल की जाये तो सेहत को खराब नहीं करती। लेकिन इससे तो ज्यादती और कमी की बहस छिड़ जाती है। अगर कोई अच्छी चीज भी ज्यादती से इस्तेमाल की जाये तो खराबी कर सकती है। मेरी दलील यह है कि जब आप शराब जैसी मासूम चीज के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं तो तम्बाकू जैसी मुहल्लक चीज को क्यों बन्द नहीं किया जाता।

***श्री ए.वी. ठक्कर** (संयुक्त राज्य काठियावाड़, सौराष्ट्र): श्रीमान्, मेरे मित्र श्री बाल गंगाधर खेर ने इस बारे में जो विचार प्रगट किये हैं उनके पश्चात् मैं नहीं बोलना चाहता था। किन्तु अब मैं दो छोटे, परन्तु महत्त्वपूर्ण बातों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्री जयपाल सिंह ने कहा है कि ''आदिवासियों की प्रादेशिक समितियां अथवा परामर्शदातृ समितियां स्थापित हो जाने दीजिये, उनकी सम्मति लीजिये और उसके पश्चात् इस संशोधन को स्वीकार कीजिये; नहीं तो इसे तब तक के लिये स्थगित किया जाये।'' किसी व्यवस्थापक के लिये ऐसी बात कहना ठीक नहीं प्रतीत होता।

**श्री जयपाल सिंह:** मैंने तो यह कहा था कि परिगणित वनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बन्धित अनुसूची पर यहां वाद-विवाद होने दीजिये; प्रादेशिक समिति से परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं था।

***श्री ए.वी. ठक्करः** परामर्शदातृ समितियों की तो अभी स्थापना होनी है। हमें नहीं मालूम कि वे मद्य-निषेध को स्वीकार करेंगी अथवा अस्वीकार। क्योंकि श्री जयपाल सिंह इसे अस्वीकार करते हैं, अतः यह नहीं मान लेना चाहिये कि वे भी इसे अस्वीकार ही करेंगी।

एक बात ओर है। समस्त आदिवासी मद्य-पान को ठीक नहीं समझते, वे मद्य-निषेध चाहते हैं। मैं गुजरात के, महाराष्ट्र के पश्चिमी खानदेश के तथा मध्यप्रान्त के भीलों के बाबत जानता हूं। मैं मध्यप्रान्त के गोंडों के बाबत भी जानता हूं। मैंने उनमें से हजारों-लाखों से पूछा है कि वे मद्य-पान चाहते हैं अथवा मद्य-निषेध उन्होंने मुझे यह निश्चित उत्तर दिया, ठक्कर, आप मद्य-निषेध की बातें करते हैं; आप मद्य-पान बन्द करने की बातें करते हैं। आप हमारे मार्ग में ये प्रलोभन डाले हुये हैं और फिर भी आप हमारी सम्मति लेते हैं। ईश्वर के लिये शराब के ठेकों को बन्द करिये और फिर हम से पूछिये। हमें मद्य-पान का प्रलोभन होता है अन्यथा हम न जायें।'' पंचमहल के भीलों का एक ठोस प्रमाण दे दूं तो ठीक होगा। इनमें मैंने 27 वर्ष तक काम किया है तत्कालीन सरकार ने जो दुकानें स्थापित की थीं वे बन्द करनी पड़ी क्योंकि भीलों ने अपने आपको अपनी इच्छा से शराब पीने से अलग रखा। शराब की दुकानें स्वेच्छा से बन्द करनी पड़ी। कोई भी दुकानों की ओर नहीं जाता था क्योंकि भीलों ने न पीने और शराब की दुकानों के शिकार न बनने की प्रतिज्ञा ली थी। दुकानों का नीलाम करना पड़ा और किसी ने भी उन्हें नहीं खरीदा। अतः यह कहना अतिशयोक्ति है कि समस्त आदिवासी इसे चाहते हैं अथवा धार्मिक अधिकार के रूप में भी इसे चाहते हैं। भीलों के लिये धार्मिक कृत्यों में इसके प्रयोग आवश्यक है यह बात भी 20 वर्ष पहले कही जा सकती थी अब नहीं। अब इस सम्बन्ध की बातें उन्होंने बन्द कर दी हैं। अब उनके लिये यह कोई धार्मिक अधिकार नहीं रह गया है।

***उपाध्यक्षः** क्या मैं सभा से यह आज्ञा प्रदान करने के लिये निवेदन करूं कि इस विषय पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये जिससे कि माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल को अपने नाम का विधेयक पेश करने का अवसर मिले?

***माननीय सदस्यगणः** जी हां।

## भारतीय सरकार–अधिनियम, 1935 (संशोधन) विधेयक

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, भारतीय सरकार के अधिनियम, 1935 में संशोधन करने के विधेयक के पुर:स्थापन करने के लिये अनुमति प्राप्ति के लिये मैं निवेदन करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

''भारतीय सरकार के अधिनियम, 1935 में संशोधन करने के विधेयक को पुर:स्थापन करने के लिये अनुमति प्रदान की जाये।''

***मौलाना हसरत मोहानी** (संयुक्त प्रान्त : मुस्लिम): मैं इसका विरोध करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** किस आधार पर?

***मौलाना हसरत मोहानी:** यदि आप मुझे कृपया कहने देंगे तो मैं तर्क प्रस्तुत करूंगा। मैं यह कहता हूं कि उनको विधेयक के पुर:स्थापन करने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए।

***उपाध्यक्ष:** मैं इस विषय पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि:

''भारतीय सरकार के अधिनियम, 1935 में संशोधन करने के विधेयक को पुर:स्थापन करने के लिये अनुमति प्रदान की जाये।'

*प्रस्ताव स्वीकार किया गया।*

***मौलाना हसरत मोहानी:** मैं इस पद्धति का घोर विरोध करता हूं। यह तथ्य प्रसिद्ध है कि यह सभा पिट्ठुओं की सभा है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** आपकी अनुमति से अब मैं भारतीय सरकार–अधिनियम, 1935 में संशोधन करने के विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** विधेयक पुर:स्थापित किया जा चुका है। क्या मैं सरदार वल्लभभाई पटेल से यह निवेदन करूं कि वे सभा को यह बतायें कि लगभग कितने समय के उपरांत वे विधेयक को विचार–विमर्श के लिये प्रस्तुत करेंगे? इस बात को जानना माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये आवश्यक है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** वह एक सप्ताह के पश्चात् होगा।

***उपाध्यक्ष:** धन्यवाद। सभा अब विधान के मसौदे के अनुच्छेद 38 पर वाद–विवाद शुरू करेगी। अब मैं श्री एल.एन. साहू को भाषण देने के लिये निवेदन करता हूं।

## अनुच्छेद 38–( *जारी* )

***सेठ गोविन्ददास** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): मैं प्रस्ताव रखता हूं कि जहां तक मद्य-निषेध सम्बन्धी खंड का सम्बन्ध है इस पर अब मत ले लिया जाये।

***उपाध्यक्षः** मैं श्री एल.एन. साहू से भाषण देने के लिये निवेदन कर चुका हूं।

**श्री लक्ष्मीनारायण साहूः** माननीय उपप्रधान जी, आज हम लोग जिस बारे में यहां आलोचना करते हैं, यह बहुत जरुरी बात है। पहले श्री जयपाल सिंह ने जो फरमाया है कि आदिवासियों में यह ड्रिन्क (drink) बहुत चलती है, यह तो ठीक है। लेकिन आदिवासियों ने जैसा ठक्कर बाबा ने खुद कहा है कि दरअसल में वे लोग चाहते हैं कि यह जो ड्रिन्क (drink) उनके सामने रखी गई है उसको निकाल दिया जाये।

सब से पहले मैं एक बात कहूंगा कि इस देश में आदिवासियों ने जो drink करते हैं वह तो दूसरे तरीके की होती है। वह तो हम लोगों के उड़ीसा में एक वृक्ष है जिसका नाम ''सलब ड्रिन्क'' है वह उनको जरा थोड़ा सा धीमा करता है लेकिन उनको पागल नहीं बनाता। जिस दिन से इस हिन्दुस्तान में जैसा माननीय केशवचन्द्र सैन ने कहा कि: the two great gifts of the Britishers to India are on the one hand the Bible and on the other hand the bottle. और इसी वजह से देश का सब नुकसान हो गया। केशवचन्द्र सैन ने कहा, बाईबिल इतना अच्छा ग्रंथ है, जब ब्रिटिश लोग यहां बोटल नहीं लाते तब सारा देश बाईबिल अच्छी तरह से ले सकता था। और यह मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि हम लोगों के देश में यह दारू इतनी खराबी करती है कि जहां मैं बत्तीस साल से रहता आया हूं वहां पहले एक आदमी भी दारू नहीं पीता था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने दारू की दुकान खोल दी तो सब आदमी दारू पी लेते हैं। मेरे जो नाती नातिन है वह सब कहते हैं कि अभी यह सब दारू पीते हैं, तो वह भी शायद दारू पीयेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब नया order of things आया है और हमने स्वराज्य पाया है और गांधी जी की यह मन्शा थी तब तो हर एक public place

में prohibition शब्द लिख देना चाहिये और श्री जयपाल सिंह जैसे, लोग जो religious freedom की बात करते हैं वह ऐसा मत कहें। हमारे देश में सत्ती की religious freedom थी वह आज कहां चली गई? इस तरह की दूसरी religious freedom आज जमाने की रफ्तार के साथ-साथ चली गई। हमारे aboriginals में human sacrifice जायज थी, लेकिन आज वह बुरी प्रथा मिट गई और समय के अनुसार बदल गयी। आज गवर्नमेंट human sacrifice नहीं करने देती। Aboriginal area की बात मैं कहता हूं। अभी तीन चार महीने ठक्कर बाबा के साथ मैंने tour किया उड़ीसा में मैंने अकेले दौरा किया, वहां aboriginal में एक नया भाव पाया। उनके भीतर भी यह बात है कि जो आदमी शिक्षा करते हैं उनको दारू नहीं पीना चाहिये, जो आदमी स्कूल में पढ़ने जाये उनको दारू नहीं पीना चाहिये। पढ़ना और दारू पीना यह दोनों अलग-अलग करना चाहिए। जो आदमी पढ़ता है वह दारू नहीं पीता।

Aboriginals के भीतर ऐसा अच्छा भाव है। इस भाव को प्रकट करने के लिये जितना सुभीता करेंगे, उतना अच्छा है। यह कहना कि दारू पीना हमारा religious right है और हम इसको preserve करने के लिये लड़ेंगे, यह बात ठीक नहीं है, यह बहुत खराब बात है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन को एक और संशोधन के साथ कि and, शब्द के पश्चात् तथा इस संशोधन के आरम्भ के पूर्व ''in particular'' शब्द जोड़ दिये जायें, मैं स्वीकार करता हूं।

***श्री महावीर त्यागीः** मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि यह संशोधन माननीय डा. अम्बेडकर द्वारा किस प्रकार स्वीकार किया जाता है? विवादान्तर्गत संशोधन तो मेरा है (*हंसी*)।

***माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन द्वारा संशोधित रूप में श्री त्यागी के संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं। (*हंसी*)

***उपाध्यक्षः** श्री त्यागी अधिकारों पर बड़े लड़ने वाले हैं।

**माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, यदि मैं ऐसा कह सकूं तो अधिकार तो वास्तव में मेरा है क्योंकि जो संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया है उसका मसौदा मैंने ही तो बनाया था। (*फिर हंसी*)

***उपाध्यक्षः** इस बात से इस विषय पर नया प्रकाश पड़ता है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं नहीं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने में सभा को कोई कठिनाई होगी। इसके विरोध में दो बातें रखी गई हैं। एक, प्रोफेसर खाण्डेकर द्वारा जो इस परिषद् में कोल्हापुर का प्रतिनिधान करते हैं। मुझे विश्वास है कि श्री खाण्डेकर ने इस बात को यथेष्ट रूप में नहीं समझा कि यह खण्ड उस अनुच्छेद के खंडों में से एक है जो उन सिद्धान्तों की गणना कराता है जो नीति के निदेशक सिद्धान्त कहे जाते हैं। अतः राज्य के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह इस सिद्धान्त का पालन करे। इस सिद्धान्त का पालन करना और किस समय पालन करना यह राज्य और जनमत पर छोड़ दिया गया है। इसलिये यदि राज्य यह समझता है कि मद्य-निषेध के लिये अभी समय नहीं है अथवा उसका पुरःस्थापन शनैः शनैः या अंशतः किया जाना चाहिये तो इन निदेशक सिद्धान्तों के अंतर्गत ऐसा करने का उसे पूर्ण अधिकार है। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि इस विषय में हमें कोई खेद या पश्चाताप होना चाहिये।

श्रीमान्, अपने माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह का भाषण सुन कर तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अभी इस विषय पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिये वरन् इसे तब तक स्थगित कर देना चाहिये जब तक कि वनजाति-क्षेत्रों की परामर्शदातृ समिति की रिपोर्ट को हम विचारार्थ न ले लें। यदि उन्होंने विधान के मसौदे को पढ़ा होता, विशेषकर छठी अनुसूची की कंडिका 12 को, तो उनको यह विदित हो जाता कि मद्य-निषेध के विषय में वनजाति के लोगों की स्थिति के संरक्षण के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वनजाति-क्षेत्रों के सम्बन्ध में योजना यह है कि राज्य द्वारा निर्मित कानून, चाहे प्रान्त द्वारा हो चाहे केन्द्र द्वारा हो, उस विशेष क्षेत्र में स्वतः ही लागू नहीं हो जायेगा। सर्वप्रथम एक कानून बनाया जायेगा फिर जिला समितियों अथवा प्रादेशिक समितियों को, जिनकी स्थापना इन क्षेत्रों से सम्बन्धित विषयों के प्रशासन करने के लिये हुई है, यह अधिकार दिया गया है कि वे ये बतायें कि केन्द्र या प्रान्त द्वारा निर्मित किसी विशेष कानून को वनजाति के लोगों द्वारा निवासित उस विशेष क्षेत्र में लागू किया जाये या नहीं, तथा मद्य-निषेध सम्बन्धी कानून का विशेष उल्लेख किया गया है। मैं कंडिका 12

की उप-कंडिका (क) को पढ़ कर सुनाता हूं जो विधान के मसौदे में 184 पृष्ठ पर है। उसमें कहा गया है:

''इस विधान में किसी बात के होते हुये भी—

(क) राज्य-विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध है जिनको इस सूची की कंडिका 3 में ऐसे विषय का होना उल्लिखित किया गया है जिन पर जिला-समिति या प्रादेशिक समिति कानून बना सकेगी, और राज्य-विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो अनासुत सौषविक पेय (नोन डिस्टिल्ड एल्कोहोलिक लिकर) के पीने का प्रतिषेध अथवा संकोचन करता है, किसी स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तशासी प्रदेश में तब तक लागू न होगा जब तक कि प्रत्येक दोनों स्थिति में जिला-समिति या ऐसे प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला-समिति लोक-अधिसूचना द्वारा उसके लिये निदेश न दे, और जिला-समिति किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देने पर यह निदेश भी दे सकेगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग पर लागू होने में अधिनियम ऐसे अपवादों या संपरिवर्तनों के साथ प्रभावी होगा जिसे कि वह उचित समझे;''

मैं नही जानता कि मेरे मित्र श्री जयपाल सिंह छठी अनुसूची की कंडिका 12 के प्रावधान से अधिक और क्या चाहते हैं। मुझे भय है कि उन्होंने छठी अनुसूची को पढ़ा नहीं है; यदि उन्होंने पढ़ा होता तो वे समझ जाते कि राज्य चाहे देश के किसी भाग में मद्य-निषेध सम्बन्धी कानून लागू करे, उसे वनजाति-क्षेत्रों में जिला-समितियों अथवा प्रादेशिक समितियों की सहमति बिना लागू करने का कोई अधिकार नहीं है।

***उपाध्यक्ष:** तीन संशोधन हैं। एक श्री महावीर त्यागी का है। वह सूची दो में संख्या 71 पर है यदि मैंने स्थिति को ठीक समझा है तो उसको तो वापस कर ही लिया है। क्या मैं ठीक हूं, श्री त्यागी?

***श्री महावीर त्यागी:** मैंने अपना संशोधन वापस नहीं लिया है। मैंने केवल उन शब्दों को स्वीकार किया है जिनको प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना मेरे संशोधन में जोड़ना चाहते हैं।

***उपाध्यक्ष:** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह चाहते हैं कि आपके संशोधन पर पृथक् मत लिया जाये।

***श्री महावीर त्यागी:** जी हां, अवश्य। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पूर्णतया शराब बन्दी चाहता हूं। वे ये शब्द जोड़ना चाहते हैं, ''भैषजीय प्रयोजनों को छोड़ कर''। अत: मेरा संशोधन ही मूल संशोधन है।

***उपाध्यक्ष:** मैंने स्थिति समझ ली। प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना द्वारा परिवर्तित तथा डा. अम्बेडकर द्वारा और भी परिवर्तित श्री महावीर त्यागी के संशोधन पर मैं अब मत लूंगा।

***श्री महावीर त्यागी:** एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान्, डा. अम्बेडकर ने एक शब्द Particular (विशेषकर) जोड़ दिया है पर उन्होंने मेरी सहमति नहीं ली है।

***उपाध्यक्ष:** डा. अम्बेडकर की ओर से मैं आपसे आज्ञा लेता हूं।

***श्री महावीर त्यागी:** मैं उनके संशोधन को भी स्वीकार करता हूं, श्रीमान्।

***उपाध्यक्ष:** संशोधित रूप में इस विशेष संशोधन पर अब मत लिया जाता है।

*संशोधन स्वीकार किया गया।*

***उपाध्यक्ष:** तत्पश्चात् एक और संशोधन श्री भूपेन्द्रसिंह मान द्वारा पेश किया गया है जो सूची 3 में संख्या 81 पर है। मैं अब उस पर मत लेता हूं।

*संशोधन अस्वीकार किया गया।*

***उपाध्यक्ष:** अब मैं संशोधित रूप में अनुच्छेद 38 पर मत लेता हूं।

*प्रस्ताव स्वीकार किया गया।*

*अनुच्छेद 38 संशोधित रूप में विधान में जोड़ दिया गया।*

***उपाध्यक्ष:** अनुच्छेद 38 विधान का भाग बना

अब हम नये अनुच्छेद 38 (क) पर आते हैं—संशोधन संख्या 1002, पंडित ठाकुर दास और सेठ गोविन्द दास के नाम से है।

***सेठ गोविन्द दास:** पं. ठाकुरदास भार्गव के संशोधन पर मेरा संशोधन है जिसे मैं पं. ठाकुरदास भार्गव को अपना संशोधन पेश कर लेने के बाद पेश करूंगा।

**पं. ठाकुरदास भार्गव:** जनाब प्रेजिडेंट साहब, यह अमेंडमेंट नं. 72 जो एक हजार दो अमेंडमेंट के बजाय मैं मूव करना चाहता हूं उसके अलफाज़ ये हैं:

''That for amendment No. 1002 of the List of Amendments to 38-A, the following be substituted:

'38.A—The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds of cattle and prohibit the slaughter of cow and other useful cattle, specially milch and draught cattle and their young stook.' ''

('कि संशोधनों की सूची में 38 क) पर संशोधन 1002 के स्थान में निम्न रखा जाये:

'38 (क)—राज्य कृषि तथा पशु-पोषण की आधुनिक तथा वैज्ञानिक रीति से व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और मवेशी की नस्ल में सुधार करने तथा उसके परिरक्षण करने की विशेषकर कार्यवाही करेगा और गाय तथा अन्य उपयोगी मवेशी विशेषकर दूध देने वाली और न देने वाली मवेशी व उनके बच्चों के वध का निषेध करेगा।' "

मैं शुरू में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट...

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है। मेरे माननीय मित्र जो अंग्रेजी में स्वतंत्रतापूर्वक बोल सकते हैं, जानबूझ कर उर्दू या हिन्दुस्तानी में बोल रहे हैं जिसको दक्षिणी भारत के अधिकांश सदस्य नहीं समझ सकते हैं।

***उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य को वे जिस भाषा में बोलना चाहें उसमें बोलने का पूर्ण अधिकार है फिर भी मैं उनसे अंग्रेजी में बोलने के लिये निवेदन करूंगा यद्यपि अंग्रेजी में बोलना उनके लिये अनिवार्य नहीं है।

**पं. ठाकुरदास भार्गवः** *[मैं हिन्दी में गाय के बारे में बोलना चाहता हूं जो मेरी भाषा है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी में बोलने के लिये मुझे आज्ञा न दें। क्योंकि विषय बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है, मैं अपने आप को उस रूप में व्यक्त करना चाहूंगा जिस रूप में मैं अधिक सुगमता तथा सुविधा से व्यक्त कर सकता हूं। अतः मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप कृपा कर मुझे हिन्दी में बोलने दें।]

जनाब वायस प्रेजिडेंट साहब, इस अमेंडमेंट के बारे में मैं हाउस के सामने यह अर्ज करता हूं कि दरअसल यह अमेंडमेंट भी जैसा डा. अम्बेडकर साहब ने दूसरी amendment के बारे में किया है उनकी ही manufacture है। गो substantially मेरी और उनकी अमेंडमेंट में कोई फर्क नहीं है। यह अमेंडमेंट एक तरह से agreed अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट के move करते वक्त मुझे यह कह देने में ताम्मुल नहीं है कि दरअसल मैं और वो लोग जिनका कि नुक्ता ख्याल डा. अम्बेडकर साहब और दूसरे साहिबान से नहीं मिलता उनके लिये एक तरह से ये अमेंडमेंट sacrifice है। सेठ गोविन्ददास साहब ने Fundamental Rights में एक इस किस्म का अमेंडमेंट भेजा था। दूसरे साहबान ने Fundamental Rights पर दूसरे अमेंडमेंट भेजे थे। मेरे नुक्ते ख्याल से मैं समझता हूं कि यह जायज है कि यह मामला फंडामैंटल राइट्स में आ जाता लेकिन कुछ मेरे असेम्बली के दोस्तों को इख्तिलाफ था और डा. अम्बेडकर साहब की ख्वाहिश है कि यह मामला Directives Principles में रखा जाये, बजाय Justiciable Fundamental के। सच तो यह है कि असेम्बली के मुत्तफिका राय यह है कि इस मामले को सहूलियत के साथ तरीके से सुलझाया जावे कि इसमें कोई Coercion न हो और मतलब पूरा हो जाये। क्योंकि मेरी राय में इस अमेंडमेंट से मतलब हमारा पूरा होता है और यह अमेंडमेंट एक तरह से Fundamental और Directive के बीच-बीच में है इसलिये मैंने जानूबूझ कर यह रवैया इख्तियार किया है। मैं यह नहीं चाहता कि इस अमेंडमेंट को फंडामैंटल राइट्स में शामिल करने से हमारे गैर-हिन्दू भाई शिकायत करें कि हिन्दुओं ने जबरदस्ती इन पर कोई मामला डाल दिया है। जहां तक प्रेक्टिकल क्वेश्चन का सवाल है मेरी राय नाकिस में कहीं पर भी यह अमेंडमेंट रखा जाये तो किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक इस अमेंडमेंट के स्पिरिट में अमल किया जायेगा। अभी हाउस ने दफ़ा 38 पास की है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दफ़ा 38 बिना रूह के महज जिस्म है। अगर आप 38-ए जो मुज़विजा तरमीम है उसको पास न करेंगे तो दफा 38 भी बेमानी हो

जायेंगे। कैसे आप लोगों की तन्दुरुस्ती, खाने की हालत को दुरुस्त कर सकते हैं जब तक आप पूरा गल्ला और दूध पैदा न करें।

यह तरमीम तीन हिस्सों में मुन्कसिम है। अव्वल जिराअत की सायंटिफिक और जदीद तरीकों पर चलाया जावे। दोयम जानवरों के नस्ल की तरक्की की जावे और तीसरे गाय व दीगर मुफ़ीद जानवरों को जिवाह करने से बचाया जावे। गल्ले की पैदावार का बढ़ाना और जिराअत को तरक्की देना व जानवरों के नस्ल को बढ़ाना एक दूसरे पर मुनहसिर हैं और एक ही सिक्के की दो शक्ल है। आज हमको दुनिया में शर्म से सर झुका लेना पड़ता है जब कि हमारे मुल्क में गल्ला बाहर से आता है और मैं समझता हूं कि बाहर से हमारे मुल्क में 46 मिलियन टन के करीब गल्ला आता है। अगर पिछले बारह साल का याने 1935 से 1947 तक का औसत देखा जाये तो इस मुल्क के अन्दर 45 मिलियन टन गल्ला हर साल पैदा हुआ है। इसलिये हम जरूर सेल्फ सफीशियेंट ही नहीं बल्कि गल्ला एक्सपोर्ट करने के काबिल बन सकते हैं। अगर पानी का ठीक फायदा उठाया जाये, Dam बनाये जायें, दरियाओं को सुधारा जाये, मशीन और ट्रेक्टर इस्तेमाल किये जायें Planning, Cropping से काम लिया जाये तो कोई शुबा नहीं कि पैदावार बहुत बढ़ सकती है। इन मशीनों के अलावा सब से बेहतर साधन पैदावार बढ़ाने का इन्सानी जिस्म की तरक्की और मवेशियों की तरक्की पर है जिसका दूध व खाद व मेहनत गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये अज़बस जरूरी है।

इस वास्ते इस देश की सारी एग्रीकल्चर और इस देश के फूड का प्राबलम गाय की तरक्की और गाय की नस्ल की तरक्की है। और इस वजह से मैं आपकी खिदमत में थोड़े से फिगर्स देकर बताना चाहता हूं कि आया गाय की तरक्की आज कहां तक होती रही है और आज क्या पोजीशन है। 1940 ई. में हिन्दुस्तान में 11 करोड़ 56 लाख 960 आकस्न थे और 1945 में 11 करोड़ 19 लाख रह गये। यानी इन पांच बरसों में 37 लाख की कमी आकस्न में हुई। इसी तरह बफेलोज में इनकी तादाद 32891300 थी, 1940 में और 1945 में वह 32544400 रह गई। इसके मुताबिक इसमें 4 लाख की कमी हुई इन पांच साल में। इस तरह दोनों में कुल मिलाकर पांच साल में 41 लाख की कमी हुई।

इसके अलावा हम वह तादाद देखें कि हिन्दुस्तान में कितने जानवर जिबाह हुये तो उनकी तादाद इस तरह मिलती है कि आकस्न 1944 में 6091828 जिबाह।

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

1945 में 65 लाख जिबाह। यानी 4 लाख ज्यादा। इस तरह बफेलोज 727189 जिबाह हैं। मैं आप का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। अगर आप देखना चाहें तो यह लेटेस्ट फिगर्स 1945 तक के मेरे पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। बम्बई और मद्रास के फिगर्स मेरे पास हैं और इनसे पता चलता है कि इस स्लाटर में किसी तरह कमी नहीं हुई है। बल्कि यह देखने में आता है कि इस स्लाटर में बढ़ोत्तरी ही होती जा रही है। इस वास्ते मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर स्लाटर का बन्द किया जाना निहायत जरूरी है। हमारा मुल्क कृषिप्रधान है और गाय हमारे लिये कामधेनु है। क्योंकि जिराअत और खुराक दोनों के लिहाज से इसका बचाव हमारे लिये जरूरी है। हमारे पुराने ऋषियों ने और बुजुर्गों ने इसकी अहमियत को महसूस किया और इसको मुतबरिक माना है। यहां कृष्ण का जन्म हुआ था जिन्होंने गाय की इतनी सेवा की कि वह अब तक मोहब्बत से माखन चोर के नाम से पुकारे जाते हैं। मैं आपको दलीप की कहानी भी नहीं सुनाना चाहता हूं कि किस तरह इस राजा ने अपनी जान की बाजी अपने गुरू की गाय के वास्ते लगा दी थी। लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस मुल्क में मुसलमानों के जमाने में भी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के जमाने में भी हिन्दुस्तान में गौ-वध नहीं होता था। यह इस वास्ते नहीं कि मुसलमान गौवध को बुरा मानते थे बल्कि इस वास्ते कि इकानामिक हिसाब से ऐसा करना इनके व देश के फायदे के खिलाफ था।

इस तरह हर एक मुल्क में, चीन में गाय का मारना जुर्म समझा जाता है। गाय का मारना अफगास्तिान में मना है। बर्मा में एक बरस हुआ कानून बनाया गया है। पहले वहां कानून था कि 14 बरस से ज्यादा उमर के जानवर जिबाह हो सकते थे। मगर फिर बर्मा गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची कि इस तरह के पारशियल स्लाटर के बन्द करने से काम नहीं चल सकता। लोग यूज़लेस कैटल के बहाने से बहुत से मुफ़ीद जानवर जिबाह कर देते हैं। मैंने अखबार में पढ़ा है कि पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि वह वेस्टर्न पाकिस्तान से जानवर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और उन्होंने भी पारशियल पाबन्दी स्लाटर पर इनफोर्स कर दी है।

हमारे देश की हालत को देखते हुये गाय की जरुरत महज दूध के वास्ते ही नहीं बल्कि इसकी जरुरत draught, transport की भी गाय की नसल ही पूरा

कर रहे हैं यह ताज्जुब की बात नहीं है कि यहां गाय की लोग परस्तिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे इस धर्म के नाम पर अपील नहीं करता लेकिन आपसे देश की एकानामिक पोजीशन का ख्याल करने के लिये कहता हूं। इस कनेक्शन में मैं हमारे देश के सब से बड़े नेता फादर आफ दी नेशन की राय आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। आप यह तो जानते ही हैं कि इस बारे में महात्माजी के क्या ख्यालात थे कि वह मुसलमानों पर या गैर हिन्दुओं पर कम्पलशन कभी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा था:

> ''I hold that the question of cow-slaughter is of great moment—in certain respects of even greater moment—than that of Swaraj. Cow-slaughter and man slaughter are, in my opinion, two sides of the same coin.''

मैं इसको भी छोड़ कर आप को हमारी कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के प्रेसिडेंट डा. राजेंद्र प्रसाद की स्पीच की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। इस के बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमेटी मुकर्रर की। एक रिप्रेजेंटेटिव एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर की। यह देखने के लिये कि हिन्दुस्तान के फायदे के लिये इस देश के अन्दर जानवरों की तादाद कैसे बढ़ाई जा सकती है और आया स्लाटर करना चाहिये या नहीं और इस कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर इस बात का फैसला किया है। सेठ गोविन्द दास साहब भी इसके मेम्बर थे। उन्होंने इत्तिफाक राय से यह फैसला किया कि हिन्दुस्तान के अन्दर कैटल का स्लाटर बन्द कर दिया जाये। इस कमेटी में बड़े आली दिमाग लोग शामिल थे। इस सवाल को एकनामिक नुकतेनिगाह से उन्होंने जांचा और अनसर्विसेवल और अनप्रोडक्टिव मवेशियों का मसला भी सोचा। आखिर सब बातों का ख्याल करके उनकी मुत्तफिका राय यह है कि स्लाटर को बन्द कर दिया जाये। इनके रिजोल्यूशन का ताल्लुक महज गाय से नहीं है। भैंस जो कि 50 फीसदी दूध देती है और बकरी जो कि 3 फीसदी दूध देती हैं और जिनसे करोड़ों रुपये का फायदा है उनका मारना भी ऐसा ही पाप है जैसा कि गाय का मारना। हमारे यहां हरियाणा के इलाके में एक बकरी तीन सेर, चार सेर दूध देती है जो दूसरे इलाकों में शायद गाय भी न देती हो। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर एकानामिक ख्याल से गौर किया जाये।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जिन मवेशियों को आम तौर पर यूजलैस कैटल कहा जाता है वह बिल्कुल गलत है। एक्सपर्ट्स ने इसका अंदाजा लगाया है और वे इस फैसले पर पहुंचे हैं कि जिन को यूजलैस कैटल कहते हैं वे

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

यूजलैस इस वास्ते नहीं है कि हमारे यहां मैनयुर की बहुत जरुरत है और गाय ख्वा दूध देने वाली हो या न दूध देती हो एक moving manure factory है। वे किसी सूरत में भी यूजलैस नहीं हो सकती। इसलिये गाय की सूरत में यूजफुल होने या न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(*घंटी बजते हुये सुनकर*) क्या मुझे रुकना है?

***उपाध्यक्षः** जी हां, मैं आपसे रुकने के लिये निवेदन करता हूं।

***पं. ठाकुरदास भार्गवः** क्या आप मझे दो मिनट और दे सकते हैं?

***उपाध्यक्षः** आपने 25 मिनट ले ही लिये हैं।

**पं. ठाकुरदास भार्गवः** चूंकि प्रेसिडेंट साहब का हुक्म है इस वास्ते मैं इस की तफसील में नहीं जाना चाहता। वरना मैं यह फ़िगर्स से साबित कर सकता हूं कि गाय के गोबर व पेशाब की कीमत उसके कायम रखने के खर्च से ज्यादा है और अब एक आखिरी लफ्ज कह कर इस मामले को खत्म करता हूं। वह यह है कि शायद बहुत से लोग यह समझतें हो कि यह गाय के जिवाह से रोकने का मामला इतना जरूरी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां अभी उमर का औसत 23 साल का है और एक साल से कम की उमर में कितने बच्चे जाया होते हैं। इसका असली सबब दूध की कमी है और खुराक की कमी है। और इसका इलाज गाय के नस्ल की तरक्की और इसके जिबाह करने को रोकना है।

मैं इस अमेंडमेंट को इतना जरूरी समझता हूं कि आपके बाकी सारे 315 दफा एक पलड़े में और दूसरे में यह अमेंडमेंट, तो मैं इस अमेंडमेंट को तरजीह दूंगा। इस अमेंडमेंट के पास करने से देश में बिजली सी दौड़ जायेगी। इसलिये आपसे दरखास्त करता हूं कि आप मुत्तफ़िका तौर से acclamation इस तरमीम को मंजूर फरमायें।

**सेठ गोविन्द दासः** उप-सभापतिजी, मुझे पं. ठाकुरदास जी भार्गव का सुधार इस डाइरेक्टिव में भी बहुत कमजोर जान पड़ता है। इसलिए मैं उनके सुधार पर अपना सुधार पेश करता हूं। मेरा सुधार यह है:

''That in amendment No. 1002 of the List of Amendments in article 38-A, the words 'and other useful cattle, specially milch

cattle and of child bearing age, young stocks and draught cattle' be deleted and the following be added at the end:

'The words ''cow'' includes bulls, bullocks, young stock of genus cow.' ''

इस सुधार का स्पष्ट अर्थ आपको यह सुधार सुनते ही मालूम हो गया होगा। पंडित जी के सुधार में गायों और दूसरे जो उपयेागी जानवर हैं, उनके वध का निषेध किया गया है जिसका अर्थ यह होता है कि अनुपयोगी गायों को काटा जा सकता है परन्तु मेरे सुधार का अभिप्राय यह है कि जहां तक गायों का सम्बन्ध है, वहां तक चाहे गाय उपयोगी हो या अनुपयेागी हो और गायों के अन्दर सांड, बैल, बछड़े भी आ जाते हैं जो गायों से उत्पन्न होते हैं, सबका वध रोक दिया जाये। पंडित ठाकुरदासजी ने आपको यह बताया कि मैंने तो इस प्रस्ताव को Fundamental Rights—मौलिक अधिकारों में भेजा था, परन्तु मुझे इस बात का दुख है कि वहां पर यह इस समय नहीं रखा जा सकता। उसका कारण यह बताया गया कि Fundamental Rights—मौलिक अधिकार—सिर्फ मनुष्यों से सम्बन्ध रखते हैं, पशुओं से नहीं। मैंने यह कहा था कि जिस प्रकार आप untouchability—अस्पृश्यता—को गुनाह बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार गौवध को भी एक गुनाह बना दें। परन्तु यह कहा गया है कि अस्पृश्यता मनुष्यों से सम्बन्ध रखती है और गौवध का प्रश्न पशुओं से सम्बन्ध रखता है। मौलिक अधिकार मनुष्यों के हैं, इसलिए उसमें यह चीज नहीं रखी जा सकती। खैर, मैं चुप रहा और मैंने उसको यहां पर लाना उचित समझा। यहां मैं यह भी कह दूं तो अनुचित न होगा कि गौरक्षा का प्रश्न मैं आज ही नहीं उठा रहा हूं। केन्द्रीय धारा सभाओं में मैं गत पच्चीस वर्षों से हूं और असेम्बली तथा कौंसिल आफ स्टेट में सदा ही मैंने इस सवाल को उठाया है।

गौरक्षा इस देश का बहुत पुराना प्रश्न है। भगवान श्रीकृष्ण के समय से इस प्रश्न को बहुत बड़ा महत्त्व मिला है। मैं तो उस कुल से आता हूं, जहां कि कृष्ण हमारे इष्ट हैं। मैं स्वयं अपने को एक धार्मिक व्यक्ति मानता हूं और इस समय के समाज में जो लोग धर्म को हेय दृष्टि से देखते हैं, और धार्मिक पुरुषों को हेय दृष्टि से, मैं उनको हेय दृष्टि से देखता हूं। मेरा यह विश्वास है कि धर्म का मूलोच्छेदन संसार में न आज तक हुआ है और न कभी हो सकता है। हमारे देश में भी चार्वाक सदृश निरीश्वरवादी रहे हैं, परन्तु चार्वाक के मत का

[सेठ गोविन्द दास]

इस देश में कभी भी प्रचार नहीं हो सका। पश्चिम के साम्यवादी नेता कार्ल मार्क्स, लेनिन और आज स्टैलिन भी धर्म को अफीम का नशा कहते हैं। रूस धर्म और ईश्वर को नहीं मानता था, पर हमने देख लिया कि पिछली लड़ाई में रूसियों ने गिरजाघरों में फिर से भगवान की प्रार्थना की कि उनको लड़ाई में जिताए। तो हमने प्राचीन इतिहास और इस समय जो निरीश्वरवादी रूस है, उसमें भी देख लिया कि धर्म का मूलोच्छेदन नहीं हो सका।

फिर गौवध हमारा धार्मिक प्रश्न ही नहीं है, वह हमारा सांस्कृतिक प्रश्न भी है और आर्थिक प्रश्न भी। संस्कृति पुराना इतिहास बताता है। हिन्दुस्तान एक बहुत प्राचीन देश है और उस पर कोई संस्कृति नहीं लादी जा सकती। जो कोई भी यह प्रयत्न करेगा, उसमें वह विफल होने वाला है, सफल होने वाला नहीं है। हमारी एक संस्कृति है जो हमारे प्राचीन इतिहास के साथ-साथ धीरे-धीरे बनी है। इस देश में हमारी संस्कृति के बिना लोग स्वराज्य का अर्थ नहीं समझ सकते। इस देश के जो बड़े-बड़े सांस्कृतिक प्रश्न इस विधान-परिषद् के सामने हैं, जैसे 'देश का नाम क्या रखा जाये', 'देश की राष्ट भाषा क्या हो', 'देश की राष्ट्रलिपि क्या हो', 'देश का राष्ट्रीय गायन क्या हों', और 'देश में गौवध हो या बन्द कर दिया जाये', जब तक इन प्रश्नों का निबटारा हमारी विधान-परिषद् इस देश की जनता की राय के अनुसार नहीं करेगी, तब तक इस देश की जनता स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं समझ सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन प्रश्नों पर referendum— जनमत ले लिया जाये और देखा जाये कि इन प्रश्नों पर हमारे देश की जनता क्या कहती है। फिर गौरक्षा हमारे लिए आर्थिक प्रश्न भी है। पं. ठाकुरदास भार्गव ने आपको कुछ अंकों द्वारा बताया कि इस देश में किस प्रकार गौवंश का ह्रास हो रहा है। यह देश कृषि प्रधान देश है और मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ अंक यहां रखना चाहता हूं। सन् 1935 में हमारे यहां ग्यारह करोड़, चौरानबे लाख, इक्यानवे हजार इस प्रकार के पशु थे, उनकी संख्या 1940 में घट कर ग्यारह करोड़, छप्पन लाख, दस हजार हो गई और 1945 में यह और घटी और उनकी संख्या ग्याारह करोड़ उन्नीस लाख रह गई। जहां एक ओर हमारी

मनुष्य संख्या बढ़ रही है, वहां हमारे यहां पशुधन घट रहा है। सरकार प्रयत्न कर रही है उपज बढ़ाने का। इस पर Grow more food campaign हजारों लाखों रुपया खर्च हो रहा है। यह प्रयत्न तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम गौवध की रक्षा न करेंगे। हमारे यहां कितनी गायें काटी जाती हैं इसके सम्बन्ध में कुछ अंक ठाकुरदास जी ने रखे हैं मैं Government of India की ''Hide and Skin'' रिपोर्ट में से कुछ अंक रखना चाहता हूं। यहां पर बाबन लाख गायों और तेरह लाख भैसों का हर साल वध किया जाता है। कितनी बड़ी संख्या है इस देश में इस वध किये जाने वाले पशुओं की। यहां छत्तीस करोड़ एकड़ जमीन काश्त में है। मैं इस जमीन में पाकिस्तान की जमीन भी शामिल कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के अलग होने के बाद हमारे यहां की खेती के लायक जमीन के अंक उपस्थित नहीं हैं। इस जमीन के लिए छह करोड़ बैल हैं। वैज्ञानिक ढंग से हिसाब लगाने से पता चलता है कि इस जमीन को ठीक स्थिति में रखने के लिये डेढ़ करोड़ बैलों की और जरुरत है।

जहां तक दूध का सवाल है मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि किस देश के लोगों को कितना दूध मिलता है और हमारे यहां कितना दूध मिलता है:

न्यूजीलैंड में एक व्यक्ति को छप्पन आउन्स दूध मिलता है। डेनमार्क में चालीस, फिनलैंड में तिरसठ, स्वेडेन में इकसठ, आस्ट्रेलिया में पैंतालीस, यू.एस.ए. में पैंतीस, चेकोस्लावाकिया में छत्तीस, बेल्जियम में पैंतीस, आस्ट्रिया में तीस, जर्मनी में पैंतीस, फ्रांस में तीस, पौलैंड में बाइस, ग्रेट ब्रिटेन में उन्तालिस, और हिन्दुस्तान में केवल सात आउन्स। जरा सोचिये और विचार कीजिये, जिस देश में लोगों को सात आउन्स दूध मिलता है, उस देश के लोगों की शारीरिक स्थिति क्या होगी। इस देश में जो बच्चों का इस बड़ी तादाद में निधन हो रहा है, बिचारे कुत्ते और बिल्लियों की मौत मर रहे हैं उनका बचाव बिना दूध के कैसे हो सकता है। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से भी यदि हम इस प्रश्न को देखें तो हमको मालूम होता है कि खेती और दूध के लिए भी गौरक्षा कितनी आवश्यक है।

यहां मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। अनुभवों से यह सिद्ध हो गया है कि चाहे हम उपयोगी पशुओं के वध रोकने के लिये कितने ही कानून क्यों न बनाये हमको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। हर प्रान्त में इस तरह के

[सेठ गोविन्द दास]

कानून है वहां लोग पशु-वध कर थोड़ा-बहुत जुरमाना दे देते हैं और कभी तो इस से भी बच जाते हैं। इस तरह से बराबर हमारे गौवंश का ह्रास हो रहा है।

बर्मा में पहले इसी तरह का कानून था पर जब उन्होंने देखा कि इस तरह से पशुओं को बचाया नहीं जा सकता तो उन्होंने गौवध कतई बन्द कर दिया।

मैं एक बात अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं। मैं तो इस देश को ऐसा देश देखना चाहता हूं कि जब हम धार्मिक दृष्टि से अलग रहते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टि से एक हो जाये। जिस तरह से आज एक ही कुटम्ब में एक साथ हिन्दू और सिख रह सकते हैं, एक ही कुटुम्ब में जैन और हिन्दू रह सकते हैं उसी प्रकार एक ही कुटुम्ब में हिन्दू मुसलमान भी रह सकते हैं। मुसलमानों को स्वयं आगे आना चाहिये और कहना चाहिये कि गौवध करना हमारे धर्म में अनिवार्य नहीं बतलाया गया। मैंने सब धर्मों का थोड़ा-बहुत अध्ययन किया है। मैंने पैगम्बर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र पढ़ा है। पैगम्बर साहब ने अपने जीवन में गौ मांस नहीं खाया। यह एक ऐतिहासिक बात है।

अभी ठाकुरदास भार्गव जी ने बतलाया कि अकबर के समय से औरंगजेब के समय तक गौवध बंद रहा। मैं मुगलों के सबसे पहले बादशाह बाबर का वह कथन सुनाना चहता हूं जो उन्होंने हुमायूं को दिया था–''गौकुशी से परहेज करना, ऐसा करने से हिन्दुस्तान के लोगों के दिलों को काबू में कर लोगे।''

अभी ठाकुर दास भार्गवा जी ने उस कमेटी का जिक्र किया जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस मामले में बैठाई थी। उसने यह सिफारिश की है कि यहां पर गौवध कतई बन्द कर दिया जाये। मैं इस बात को मानता हूं कि इस काम के लिए सरकार को रुपये की जरुरत पड़ेगी। मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि इस काम के लिए रुपये की कमी नहीं होगी। पिंजरापोल, गौशालाओं को जो भाग मिलता है, उसे कानूनी तरीके से लिया जाये तो जितने रुपये की जरुरत हो उतने रुपये मिल जायेंगे। अगर सरकार इस काम के लिए नया टैक्स

भी लगाना चाहेगी तो इस देश का प्रत्येक निवासी इस टैक्स को हर्षपूर्वक देगा। इसलिये फाइनैन्शल बोगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा हमारे सामने रखती थी यह हमारी सरकार हमारे सामने न रखे। मैंने इस देश में थोड़ा-बहुत भ्रमण किया है और मैं जनता के विचारों से परिचित हूं।

*[श्रीमान, अपने दक्षिणी भाइयों के लिये मैं कुछ शब्द अंग्रेजी मैं कहना चाहता हूं।]

***उपाध्यक्ष:** यदि मैं आपको ऐसी आज्ञा दे दूं तो अन्य वक्ताओं को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं मिलेगा। आपने दस मिनट चाहे थे और मैंने आपको 19 मिनट दे दिये हैं। यदि आप और अधिक समय लेने के लिये हठ करते हैं तो मैं आपको वह भी दे दूंगा लेकिन आप उनको अंग्रेजी में सम्बोधन कर सकते थे।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना–सूची 4 संशोधन संख्या 87!

***श्री आर.वी. धुलेकर** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मैंने एक छोटा सा निवेदन भेजा था कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** यदि माननीय सदस्य कृपापूर्वक अपने-अपने स्थान ग्रहण कर लें तो मैं कुछ कह सकूं। हमने एक प्रणाली अंगीकार की है। संशोधन एक-एक करके पेश किये जायेंगे।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना!

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी जिसमें मैंने यह चाहा था कि गौवध का पूर्ण निषेध कर दिया जाये। परन्तु पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन से समझौता कर लेने के बाद मैंने अपने संशोधन को पेश करने के अधिकार को छोड़ दिया है।

***एक माननीय सदस्य:** परन्तु, संशोधन क्या है?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** वह सूची 4 में संख्या 87 पर है, पर मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं।

***उपाध्यक्ष:** उस दशा में आप बोल नहीं सकते हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** पर और कोई संशोधन नहीं है। मैं अब खंड पर बोल सकता हूं।

***पं. बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं हम कहां पर हैं। क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश कर रहे हैं या वे खंड पर सामान्य वाद विवाद में भाग ले रहे हैं?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** मैं सामान्यतया खंड पर बोल रहा हूं।

***उपाध्यक्ष:** उस दशा में आप तब तक ठहरें जब तक श्री रामसहाय भी अपना संशोधन सूची 4, संख्या 88 पेश नहीं कर दें।

***श्री अलगू राय शास्त्री** (संयुक्तप्रांत : जनरल): एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान्, प्रोफेसर सक्सेना ने पंडित ठाकुरदास के पूरे के पूरे संशोधन को उतार लिया है और केवल एक या दो शब्द जोड़ दिये हैं। ऐसी दशा में केवल उन नये शब्दों को ही उनका संशोधन मानना चाहिये और पूरा संशोधन उनका अपना नहीं होना चाहिये।

***उपाध्यक्ष:** पर उन्होंने तो कह दिया है कि वे केवल सामान्य वाद-विवाद में भाग लेंगे।

अब, श्री रामसहाय!

**श्री राम सहाय** (संयुक्त राज्य ग्वालियर, इन्दौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक अमेंडमेंट पार्ट तीन में आर्टिकिल 9 इजाफा करने इस सम्बन्ध में पेश किया है कि The State shall ban the slaughter of cow by Law. लेकिन इन्हीं कारणों से जिन कारणों से मिस्टर भार्गवा जी ने इस फन्डामेंटल राइट्स की तहत में अपना अमेंडमेंट पेश नहीं किया। उसी तरह मैंने भी अपना अमेंडमेंट न पेश करने का निश्चय कर लिया है। इसके बाद पार्ट चार में मैंने अपना अमेंडमेंट रखा है।

मेरा अमेंडमेंट रखने का सिर्फ़ मकसद यह था कि गौवध कतई बन्द कर दी जाये। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि हाउस में 1 वर्ग इस चीज को पसन्द नहीं करता और मैं भी कोई ऐसी चीज नहीं पेश करना चाहता जो सर्वसम्मति से न हो सके। या जो कम से कम ऐसी न हो कि जिससे प्रान्तों की आज़ादी बनी रहे। डाइरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पालिसी की तहत में प्रान्तों को यह आज़ादी है कि वह कतई तौर पर गौवध बन्द करें यह रैसट्रिक्टेड वे में बन्द करें। गो इस समय बहुत सारे देशों में गौवध पर किसी न किसी रूप में पाबन्दी लगी है, फिर भी मैं इस बात की तरफ नहीं जाना चाहता हूं।

इस प्रस्ताव को जिसे कि मि. भार्गवा साहब ने पेश किया है और मैं समझता हूं कि मि. अम्बेडकर साहब उसे पसन्द करेंगे और उसे जरूर मान लेंगे क्योंकि उनके एस्युरेन्स पर ही यह समझौते की तरमीम आई है। उसी एस्युरेन्स से मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं करना चाहता।

***उपाध्यक्ष:** एक और संशोधन है जिसको मैं छोड़ गया था वह संख्या 1005 है और चौधरी रणबीर सिंह के नाम से है।

***चौधरी रणवीर सिंह:** (पूर्वी पंजाब : जनरल): श्रीमान्, मैं उस संशोधन को पेश नहीं करना चाहता हूं। पर मैं मूल खंड पर बोलना चाहूंगा।

***उपाध्यक्ष:** बहुत अच्छा, प्रोफेसर सक्सेना!

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक धार्मिक पहलू हैं और दूसरा आर्थिक। पहले मैं धार्मिक पहलू के बारे में कुछ कहूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि किसी बात को कानून का रूप केवल इसीलिये न दिया जाये क्योंकि इसका धर्म से निकट सम्बन्ध है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि आर्थिक अथवा अन्य पहलुओं के कारण ही गौरक्षा का आदर्श हिन्दू-धर्म का अंग बन गया है। मेरा विश्वास है कि हिन्दू धर्म अधिकतर उन सिद्धान्तों पर आश्रित है जो अनेकों शताब्दियों के अनुभव द्वारा इस देश के लोगों के लिये उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसलिये यदि हमारी तीस करोड़ जनसंख्या यह विचार करती है कि इस बात को देश के कानून में ले आना चाहिये तो मैं नहीं समझता कि इस परिषद् के रूप में 35 करोड़ का प्रतिनिधान करने वाले हम लोग इसे केवल इस आधार पर छोड़ दें कि इसका पहलू धार्मिक है। मैं सेठ गोविन्ददास से इस बात में सहमत हूं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि चूंकि किसी बात में धार्मिक प्रमुखता है इसलिये वह बुरी है। मैं कहता हूं कि धर्म स्वयं उस बात को शुद्धकर लेता है जिससे आर्थिक कल्याण होता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मवेशी-रक्षा हमारे लिये कितना महत्त्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने वास्तव में अपने अनेकों लेखों में अपने विश्वासों के बारे में लिखा है कि गौरक्षा हमारे देश के लिये बहुत ही आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से में यह बताना चाहता हूं कि डाक्टर राइट जो कि इस विषय में विशेषज्ञ है हमारी राष्ट्रीय आय पर अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि 22 करोड़ वार्षिक राष्ट्रीय आय में लगभग 11 करोड़ की प्राप्ति भारत के पशु-धन से होती है जो कि गांवों में रहने वाले हमारे बहुत से लोगों का धन है।

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

कभी-कभी यह मान लिया जाता है कि हमारे पास बहुत मवेशी हैं और उनमें से बहुत से बेकार हैं और इस कारण उनका वध कर देना चाहिये। यह एक भूल है। यदि आप अंकों की तुलना करें तो आपको विदित होगा कि भारत में जनसंख्या का केवल 50 प्रतिशत मवेशी हैं जब कि डेनमार्क में 74, संयुक्त राज्य-अमरीका में 71, कनाडा में 80, केपकोलोनी में 120 और न्यूजीलैंड में 150 प्रतिशत हैं। अत: न्यूजीलैंड में हमारी अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति के पास तिगुने मवेशी हैं। इस कारण यह कहना कि हमारे यहां बहुत मवेशी हैं सही नहीं हैं। बेकार मवेशी के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों का कथन है कि उनका गोबर खाद के रूप में मूल्यवान है और उसका मूल्य ऐसे मवेशियों के रखने में जो खर्च होता है उससे अधिक है।

और यह बात भी है कि हमारी कृषि अधिकतर मवेशियों पर निर्भर है क्योंकि वह अधिकतर छोटे-छोटे खेतों में बंटी हुई है जिनमें कृषक ट्रेक्टर तथा अन्य यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वे बैलों पर निर्भर है और यदि आप बैलों की गणना करें तो आपको विदित होगा कि यद्यपि हमारे पास 33 करोड़ 5 लाख एकड़ भूमि कृषि के लिये है पर हमारे पास बैल केवल 6 करोड़ ही हैं जो 100 एकड़ भूमि के लिये 16 होते हैं और यह संख्या बहुत ही अपर्याप्त हैं। यह अनुमान किया गया है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये हमें लगभग 11 करोड़ बैलों की और आवश्यकता है।

दूध तथा अन्य पदार्थों की अपनी आवश्यकता के विषय को लेते हुये यदि हम अपने यहां दूध के सेवन की तुलना अन्य देशों से करें तो हमें विदित होगा कि वह केवल 5 औंस प्रति व्यक्ति है और अन्य देशों के अंकों की तुलना में यह बहुत कम है। इसलिये मैं सोचता हूं कि हमें इस संशोधन को अपने विधान में ले लेना चाहिये।

दूसरी बड़ी बुराइयां हमारे देश में बच्चों की मृत्यु और तपेदिक है और इनका कारण है दूध की खुराक की कमी। इन बुराइयों का निराकरण तभी हो सकता है जब कि हम अपने मवेशियों का परिरक्षण करें और उनकी नस्ल सुधारें। इस संशोधन का यही आशय है। इस कारण मेरा विचार है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये।

इसके पश्चात् वनस्पति घी का प्रयोग है जो कि आर्थिक अभाव के कारण आवश्यक हो गया है, क्योंकि शुद्ध घी कहीं भी प्राप्त नहीं है। यदि हम इस संशोधन

को प्रभाव में ला सके तो हम मवेशी की नस्ल सुधार सकेंगे और फिर हम वनस्पति के प्रयोग को भी बन्द कर सकेंगे जो कि राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिये बड़ा हानिकारक है।

अपनी जलवायु की आवश्यकता के दृष्टिकोण से भी यह संशोधन बहुत आवश्यक है। मेरे विचार से संशोधन का शब्दविन्यास भी ठीक है। उसमें यह कहा गया है कि ''हम कृषि तथा पशु-पोषण की आधुनिक तथा वैज्ञानिक रीति में व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे और मवेशी की उपयोगी नस्ल में सुधार करने, रक्षा करने तथा उसके परिरक्षण करने की विशेष कार्यवाही करेंगे और गाय तथा अन्य उपयोगी मवेशी विशेषकर दूध देने वाली तथा गर्भधारण करने योग्य वयस वाली, उनके बच्चों और दूध न देने वाली मवेशी के वध का निषेध करेंगे।'' मेरे विचार से सेठ गोविन्ददास का संशोधन इसमें आ गया है। मुझे विश्वास है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित लोक-प्रतिनिधि राज्य के कानूनों में ऐसे कानून को अवश्य रखेंगे जो इस संशोधन को प्रभावी कर देगा और तब हमारे देश में गौवध नहीं होगा। मैं इसलिये इस संशोधन का पूरे दिल से समर्थन करता हूं।

***डा. रघुवीर** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): मैं यह अपना बहुत ही अनिवार्य कर्त्तव्य समझता हूं कि सभा में वे विचार प्रकट करूं जो पूरी तरह से किन्हीं शब्दों से भी व्यक्त नहीं किये जा सकते। मैं समझता हूं कि इस भूमि पर एक गौ का भी वध न होना चाहिये। ''गौरघ्न्या भवति। न हिंसितव्या। न हिंसितव्या। य: कश्चिद् गां हिनस्ति महापातकी भवति।'' ये भावनायें जो कि हजारों वर्ष पूर्व प्रकट की गई थीं, आज भी इस भूमि के करोड़ों व्यक्तियों के हृदय में गूंजती है। मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि यह आर्थिक प्रश्न है और मुसलमान बादशाहों ने भी गौरक्षा को मान्यता दी थी तथा गौवध का निषेध किया था, यह सब ठीक है। परन्तु जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली—हर रूप में, हर प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता—हमारी प्रस्तावना में यह कहा गया है कि ''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी''—तो क्या यह केवल विचारों की अभिव्यक्ति है अथवा यह हमारे सम्पूर्ण कलेवर की अभिव्यक्ति है? इस देश ने एक सभ्यता का विकास किया और उस सभ्यता में हमने उन बातों को प्रमुख स्थान दिया जिनको हम

[डा. रघुवीर]

अहिंसा अथवा हत्या न करना अथवा कष्ट न देना कहते हैं और वह भी केवल मानव मात्र के लिये ही नहीं वरन् पशु-लोक के लिये भी। समस्त संसार को एक समझा जाता था और उस एकता के जीवन का प्रतीक गौ है—क्या हम इसका निर्वाह नहीं करेंगे? ब्रह्म हत्या ओर गौ हत्या—विद्वान्, वैज्ञानिक, दार्शनिक अथवा ऋषि की हत्या और गौ की हत्या समान हैं। यदि हम इस देश में किसी वैज्ञानिक अथवा किसी ऋषि की हत्या नहीं होने देते हैं तो इस सभा द्वारा यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि किसी गाय का भी वध न हो। मुझे याद है कि मेरे बचपन में जब तक गाय न पी लेती थी तब तक हमको न पीने दिया जाता था और जब तक गाय खा न लेती थी तब तक हमको न खाने दिया जाता था। परिवार के बच्चों से पहले गाय थी क्योंकि वह व्यक्ति की मां है, वह राष्ट्र की मां है। सभा में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप गम्भीरतापूर्वक अपने अतीत को देखें और अपने हृदय को टटोले। हम अपने करोड़ों देशवासियों के प्रतिनिधि हैं।

***उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य को अध्यक्ष को सम्बोधन करना चाहिये। यह सार्वजनिक मंच नहीं है।

***डा. रघुवीरः** श्रीमान्, आपके जरिये मैं इस सभा के तथा इस देशवासियों की इस भावना का प्रतिपादन करना चाहता हूं कि हमारे देश तथा हमारी संस्कृति के हितार्थ गौ की रक्षा की जाये। इन शब्दों के साथ मैं आप से विदा चाहता हूं।

***श्री आर.वी. धुलेकरः** श्रीमान्, मैं बचपन से ही सदैव यह विश्वास करता रहा हूं कि भारत का एक धार्मिक उद्देश्य है और चूंकि भारत का एक धार्मिक उद्देश्य था इसी कारण मैंने देश की स्वाधीनता चाही। अनेकों करोड़ों मनुष्य जो इस देश पर बलिदान हो गये उन्होंने मेरे समान ही यह विश्वास किया कि भारत का एक धार्मिक उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है? वह धार्मिक उद्देश्य यह था कि हम संसार के कोने-कोने में जाएं और शांति, प्रेम, स्वतंत्रता और अभय का संदेश संसार के प्रत्येक व्यक्ति को दें। जब स्वाधीनता मिल गई तो मैं यह सोच कर खुश हुआ कि मैं अब अपने उस उद्देश्य का पालन करूंगा और संसार में यह

संदेश ले जाऊंगा कि भारत को संसार के किसी देश से ईर्ष्या नहीं है, उसका राज्य प्रसार का विचार नहीं है, वरन् वह समस्त संसार की परस्पर युद्ध, खुरेजी तथा अन्य अनेकों बुराइयों से जिससे मानव जाति पीड़ित है रक्षा करना चाहता है। इसी रूप में और इसी प्रयोजन के लिये मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर निरावेश होकर वाद-विवाद करे। हमारा संघर्ष रोटी के टुकड़े तथा मछली के लिये नहीं है। रोटी का टुकड़ा और मछली का विचार तो लोगों ने 30 वर्ष पूर्व छोड़ दिया था और कुछ लोगों ने तो 50 वर्ष पूर्व ही छोड़ दिया था। हमने इस स्वतंत्रता को रोटी और मछली के लिये नहीं चाहा था। जो इन वस्तुओं को चाहते हैं उनका भी स्वागत है परन्तु हम जैसे व्यक्ति जिनके पास समस्त संसार के लिये कुछ धार्मिक उद्देश्य तथा संदेश था वे रोटी और मछली को प्रेम नहीं कर सकते हैं। हम राजदूत पद, प्रधानमंत्री पद, मंत्री पद तथा धन नहीं चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि आज भारत यह घोषणा कर दें कि समस्त मानवलोक तथा समस्त पाशुलोक आज से स्वतंत्र हैं और उसकी रक्षा की जायेगी। गाय पशुलोक का प्रतिनिधि है, पीपल वृक्ष वनस्पति-लोक का प्रतिनिधि है, शालिग्राम खनिज-लोक का प्रतिनिधि है। हम इन चारों लोकों की रक्षा करना चाहते हैं और इनको शांति और सुख देना चाहते हैं और इसीलिये भारत के हिन्दुओं ने इन चार वस्तुओं को इस लोक के प्रतिनिधि के रूप में रखा है—मनुष्य, गाय, पीपल और शालिग्राम। इन सबकी पूजा की जाती थी क्योंकि हम समस्त मानव जाति की रक्षा करना चाहते थे हमारे उपनिषदों में कहा गया है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिज्जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।

हम यह सम्पत्ति नहीं चाहते हैं, हम यह भोजन नहीं चाहते हैं, हम यह पोशाक नहीं चाहते हैं—इसलिये नहीं कि हम प्राप्त नहीं कर सकते हों, इसलिये नहीं कि हम कायर हैं; इसलिये नहीं कि हम साम्राज्यशाही का डंका संसार के कोने-कोने में नहीं पीट सकते हैं; वरन् इसलिये कि हम समस्त संसार का अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य देखते हैं अतः हमारी मानवता ने, जो हजारों वर्षों से इसी भारतवर्ष में वर्तमान रही है, उन्नति की ओर गाय को मानव समाज के अन्तर्गत ले लिया। कुछ लोगों ने यहां मुझ से बातें की और कहा कि ''आप कहते हैं कि आप

[श्री आर.वी. धुलेकर]

गाय की रक्षा करना चाहते हैं और उसे मौलिक सिद्धान्तों में रखना चाहते हैं। क्या गौ-रक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है? अथवा क्या यह गाय का मौलिक अधिकार है? मैंने उनको उत्तर दिया और यही मैं कहता हूं कि मान लीजिये आपकी मां की रक्षा करना या बचाने का प्रश्न है तो वह किसका मौलिक अधिकार है? क्या यह मां का मौलिक अधिकार है? नहीं, मेरी मां की रक्षा करना, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे और मेरे देश की रक्षा करना मेरा अधिकार है। मौलिक अधिकारों मे आपने कहा है कि आप न्याय, समानता तथा अन्य ऐसी बातें देंगे। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि ''न्याय प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार है।'' इस न्याय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हमारी रक्षा की जायेगी, हमारे परिवार की रक्षा की जायेगी। हमारी हिन्दू समाज ने अथवा हमारी भारतीय समाज ने गाय को अपने अन्तर्गत रखा है। वह हमारी माता के समान है। सच पूछो तो वह हमारी माता से भी अधिक है। मैं यह घोषणा कर सकता हं कि ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो अपनी माता, स्त्री तथा बच्चों के लिए किसी व्यक्ति को मारने नहीं दौड़ेगे पर वे उस आदमी की और झपटेगे जो गाय की या तो रक्षा करना नहीं चाहता या हत्या करना चाहता है।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि कि इन दो संशोधनों पर, जिनको कि श्री भार्गव और सेठ गोविन्ददास ने प्रस्तुत किया है, शान्त चित्त से विचार करना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केवल उसी संशोधन को स्वीकार करना चाहिये जो बहुत स्पष्ट हो। यदि श्री भार्गव का संशोधन शंकास्पद है तो सेठ गोविन्ददास के संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये।

***उपाध्यक्ष:** मेरी जैसी प्रथा है उसका अनुसरण करते हुय मैं उन लोगों को अवसर दूंगा जो बहुमत के विचारों से भिन्न विचार रखते हैं, इस कारण मैं श्री लारी को भाषण देने के लिये आमंत्रित करता हूं।

***श्री जैड.एच. लारी** (संयुक्तप्रान्त : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों की भावनाओं की सराहना करता हूं जो गौ रक्षा चाहते हैं—चाहे वह धार्मिक आधार पर हो अथवा चाहे वह इस देश में कृषि के हित में हो। मैं यहां किसी संशोधन का विरोध करने या उसका समर्थन करने के लिये नहीं आया हूं वरन् सभा से

यह प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि वह स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दे और इस विषय को संदिग्ध दशा अथवा संदेहावस्था में न छोड़े। साथ ही साथ सभा को यह समझ लेना चाहिये कि भारत के मुसलमान इस विचार को मानते चले आ रहे हैं और अब भी मानते हैं कि उन सिद्धान्तों का उल्लंघन किये बिना जिनके द्वारा राज्य पर शासन होता है वे बकरीद के अवसर पर गौ अथवा अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं। यह बहुमत के निश्चय करने की बात है कि वह जैसा चाहे निश्चय करे। बहुमत सम्प्रदाय जिस प्रवृत्ति को अंगीकार करता है हम उसमें बाधा डालने के लिये यहां उपस्थित नहीं हुये हैं। परन्तु मुसलमानों में यह भावना न अटकी रहे कि वे कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके किये जाने की वास्तव में उनसे आशा नहीं है। जैसा कि मैं अपने प्रान्त के सम्बन्ध में जानता हूं फल यह हुआ कि गत बकरीद के अवसर पर अनेकों स्थानों, जिलों और नगरों में धारा 144 के अन्तर्गत बहुत सी आज्ञायें निकाली गई। परिणाम यह हुआ कि बहुत से गिरफ्तार किये गये, उनसे भी अधिकों को कष्ट दिया गया और कुछ को सजा हुई। अतः यदि सभा की यह सम्मति है कि गौ वध बन्द किया जाये तो उसको स्पष्ट, दृढ़ तथा असंदिग्ध शब्दों में किया जाये। मैं यह नहीं चाहता कि यह दिखावा किया जाये कि लोग कुछ काम करने के लिये स्वतंत्र हैं और मन में यह बात रखी जाये कि वे वैसा काम न करें। सभा से मेरा निजी आग्रह यह है कि आगे बढ़ कर मौलिक अधिकारों में एक खंड रखना अधिक उपयुक्त होगा कि भविष्य मे गौवध बन्द किया गया अपेक्षाकृत इसके कि निदेशक सिद्धान्तों में इसे अस्पष्ट रूप में छोड़ दिया जाये, प्रान्तीय सरकारों पर यह छोड़ दिया जाये कि वह जैसा चाहे करे और निश्चित कानून को स्वीकार किये बिना दण्ड कार्य प्रणाली के अन्तर्गत सद्यस्कृत्यस्थिति अधिकारों की शरण लें। देश के कल्याण और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में परस्पर शुभ सम्बन्ध के हित में मैं निवेदन करता हूं कि यही ठीक अवसर है जब कि बहुमत स्पष्ट तथा निश्चित रूप से हमें अपने विचारों को व्यक्त करें।

मैं तो कह सकता हूं कि यह ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में यदि बहुमत किसी निश्चित मार्ग का अनुसरण करना चाहता है तो हमारी प्रवृतियां चाहे जैसी भी हों हम बहुमत के मार्ग में रोड़ा नहीं अटकायेंगे। हम यह अनुभव करते हैं, हम यह जानते हैं कि हमारा धर्म निश्चित रूप से यह नहीं कहता कि हम गौवध करें ही पर वह उसकी भी आज्ञा देता है। प्रश्न तो यह है कि आपकी

[श्री जैड.एच. लारी]

भावनाओं का विचार करते हुये, उस श्रद्धा का विचार करते हुए जो बहुमत के दिलों में कुछ पशु वर्गों के लिये है, क्या वे अल्पसंख्यकों को अधिकार के रूप में नहीं वरन् सुविधा अथवा आज्ञा जो उसे इस समय प्राप्त है देंगे या नहीं? मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं उसे अपने धर्म के विरोध में नहीं समझूंगा। परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाये और विशेष कर किसी त्यौहार को शान्तिपूर्वक मनाने में धारा 144 के अन्तर्गत आज्ञाओं का प्रवर्त्तन कर बाधा डाली जाये। मैं केवल इसी बात का पक्ष समर्थन करने आया हूं। अत: बहुमत सम्प्रदाय के नेतागण अभी यहां इस बात को स्पष्ट कर दें और पीछे बैठने वालों पर न छोड़े कि वे यहां आयें और पक्ष-विपक्ष में धर्मोपदेश करें। जो देश के भाग्य विधाता हैं उनको भाग्य का निर्माण अथवा नाश करने दीजिये और उनको स्पष्ट करने दीजिये कि ''यह हमारे विचार हैं'' और हम उसे मान लेंगे। मैं केवल यही कहने आया हूं। मैं आशा करता हूं कि जब मैं यह कह रहा हूं आप मुझे गलत न समझेंगे। यह क्रोध, घृणा अथवा आवेश के कारण नहीं है परन्तु यह सम्प्रदायों में परस्पर शुभ सम्बन्ध के प्रति सम्मान के कारण है और इससे भी अधिक यह स्पष्ट विचार रखने की आवश्यकता के कारण है कि मैं यह कहता हूं। भविष्य में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को यह जान लेना चाहिये कि उनकी क्या स्थिति है जिससे कि वे उसके अनुकूल कार्य करें और इस विषय पर बहुसंख्यक और मुसलमानों में किसी प्रकार का मिथ्या भ्रम न हो।

मैंने जो कुछ कहा है उसको विचार में रखते हुये मैं किसी भी संशोधन का न तो विरोध करूंगा और न समर्थन, पर मैं उन खंडों की जो प्रस्तुत किये गये हैं अस्पष्ट पदावली के स्थान में एक सुस्पष्ट तथा सुनिश्चित नियम को आमन्त्रित करूंगा। इस खंड में पहले यह कहा गया है कि हम आधुनिक तथा वैज्ञानिक कृषि की व्यवस्था करेंगे। आधुनिक तथा वैज्ञानिक कृषि का आशय यंत्र प्रयोग अथवा अनेकों अन्य बातों से है। आधुनिक तथा वैज्ञानिक कृषि सम्बन्धी खंड का पूर्ववर्त्ती भाग और 'गौवध निषेध का परवर्त्ती भाग परस्पर बेमेल हैं। मैं दूसरे सदस्य की भावनाओं की सराहना करता हूं जिन्होंनें कहा कि ''यह हमारी भावना है और इस भावना के कारण हम इस अनुच्छेद को चाहते हैं। इस अनुच्छेद को वहां रखिये परन्तु ईश्वर के लिये अनुच्छेद पर वाद-विवाद स्थगित करिये और उसे स्पष्ट,

निश्चित तथा असंदिग्ध रूप में लाइये जिससे हम यह जान सकें कि हमारी क्या स्थिति है जिससे कि उसके पश्चात् इस बात के बारे में जिसका धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु देश में प्रचलित प्रथा पर जिसका प्रभाव पड़ता है, दोनों सम्प्रदायों को किसी प्रकार के मिथ्या भ्रम के लिये अवसर न मिले।

**सैयद मोहम्मद सादुल्ला** (आसाम : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, सभा के समक्ष वाद-विवाद के विषय के दो रूप है एक धार्मिक और दूसरा आर्थिक। कुछ लोग जो हमारे विधान में एक ऐसी धारा चाहते हैं कि गौवध सदैव के लिये बन्द कर दिया जाये। वे इस विषय को धार्मिक रूप देते हैं। उनके विचारों से मुझे पूर्ण सहानुभूति है क्योंकि मैं तुलनात्मक धर्म का विद्यार्थी हूं। मैं जानता हूं कि हिन्दू राष्ट्र का एक बड़ा बहुमत गाय को देवी के रूप में पूजता है अत: वे उसका वध देखने के विचार तक की कल्पना नहीं कर सकता। जैसा कि सबको विदित है मैं मुसलमान हूं। मेरी धार्मिक पुस्तक पवित्र कुरान में मुसलमानों को एक आदेश है जिसमें कहा गया है–

''ला इकराह फिद्दीन''

अथवा धर्म के नाम पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये। अत: मैं अपने निषेधाधिकार का उस समय प्रयोग करना नहीं चाहता हूं जब कि मेरा हिन्दू भाई धार्मिक दृष्टिकोण से इस विषय को अपने विधान में लाना चाहता है। मैं अपने विधान निर्माताओं का भी मार्ग नहीं रोकना चाहता हूं—मेरा आशय विधान-परिषद् से है यदि वे खुले मैदान में आकर सीधे-सीधे कहें ''यह हमारे धर्म का अंग है। गौ की वध से रक्षा करनी चाहिये इसलिये हम उसका प्रावधान मौलिक अधिकारों में या निदेशक सिद्धान्तों में चाहते हैं।''

लेकिन जो लोग इसे आर्थिक रूप देते हैं, जैसा कि मुझ से पूर्व एक माननीय सदस्य ने कहा था, वे अनेकों हृदयों में यह शंका उत्पन्न करते हैं कि गौ वध के विरोध में हिन्दुओं की कट्टर भावना की पृष्ठ द्वार द्वारा पूर्ति की जा रही है। यदि आप इसको आर्थिक रूप देंगे तो आपके समक्ष कुछ सत्य बातें रखूंगा जिनसे यह प्रकट होगा कि आर्थिक दृष्टि से गौ वध इतना बुरा नहीं है जितना उसे बनाने का प्रयत्न किया गया है। मुझे आसाम प्रान्त का बड़ा और बहुक्षेत्रीय अनुभव है और इसलिये मैं आसाम की संख्याओं को ही उद्धृत करूंगा। 1931वें

[सैयद मोहम्मद सादुल्ला]

साल में उस समय वर्तमान केन्द्रीय सरकार की आज्ञानुसार प्रान्त की मवेशी गणना की गई है। हमें विदित हुआ कि 1931 में आसाम में 70 लाख मवेशी थे जब कि जनसंख्या 90 लाख थी। दूसरे भाग से आये हुये मेरे मित्रों को सन्देह होगा जब मैं उनके सामने यह सत्य उपस्थित करूंगा कि आसाम की गाय औसतन प्रति दिन आधा सेर दूध देती है और वह कद में इतनी नाटी होती है कि दूध देने के अतिरिक्त अन्य कृषि कार्य की उसमें क्षमता ही नहीं होती। कृषि योग्य मवेशियों के लिये आसाम बिहार प्रान्त पर निर्भर करता है। गत युद्ध में जब कि मवेशियों को उधर से इधर भेजने में महान् कठिनाइयां थीं, हम बिहार से मवेशी प्राप्त नहीं कर सके और उसका फल यह हुआ कि हमें हल जोतने के लिये अपने नाटे मवेशियों का ही प्रयोग करना पड़ा। इस मवेशी की रक्षा करने के लिये सरकार ने एक कानून पारित किया कि दूध देने वाले मवेशी अथवा उस मवेशी का जो कृषि कार्य में उपयोगी हो सकता हो वध न किया जाये। परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि मैंने स्वयं देखा कि मवेशियों के झुंड के झुंड काटने के लिये फौजी डिपों में ले जाए जाते थे और वह भी मुसलमानों द्वारा नहीं वरन् उन हिन्दूओं द्वारा जिनके सिर पर लम्बी-लम्बी चोटियां थीं। अब मैंने अपने दौरे में यह देखा तो मैंने उन लोगों से पूछा कि अपने धर्म के विरुद्ध तथा सरकारी आज्ञा के विरुद्ध मवेशी कटवाने क्यों ले जाते हैं। उन्होंने कहा, ''श्रीमान्, ये सब अनुपयोगी मवेशी हैं। हमारी आर्थिक दशा के लिये ये भारस्वरूप हैं। हम उनके एवज़ में नकद रुपया लेना चाहते हैं।''

मेरे मित्र सेठ गोविन्ददास ने उन मवेशियों की दशा का वर्णन किया है, जो मर जाते हैं। मैंने उनसे निजी रूप में प्रश्न किये। खाल और चमड़े (हाइड्स एण्ड स्किन्स) की रिपोर्ट में संख्यायें खाल के आधार पर हैं। मैं जानता हूं कि हिन्दुओं में एक जाति है जिसको मेरे देश में ''रिशी'' कहा जाता है। उसका जीवन भर एक मात्र उद्यम यह है कि वह मृत मवेशियों की खाल उधेड़े। उनको वध की गई मवेशियों की खाल उधेड़ने में भी किंचित्मात्र आपत्ति नहीं है। सेठ गोविन्ददास द्वारा दिये गये अंकों में दोनों मरी हुई तथा वध की गई मवेशियों की गणना है। इसी प्रकार पंडित भार्गव द्वारा दिये गये अंकों में उन मवेशियों की संख्यायें नहीं हैं जिनका सामान्य काल में वध किया गया था। वह, जैसा कि माननीय सदस्यों

को विदित है, युद्ध काल था और चूंकि जापानियों ने भारत पर आसाम में से आक्रमण किया था, अकेले आसाम को 5 लाख सैनिक और इतने ही केम्प वालों को खपाना पड़ा था। इन दस लाख अमरीका के या अन्य स्थानों के गोरे और कालों को खिलाने के लिये भारत के समस्त भागों से आसान में मवेशी लाये जाते थे। केवल भारत के प्रत्येक भाग के सैनिक ही नहीं वरन् चीनी सैनिक भी आसाम में थे। अतः वह काल विषम था और सन् 1945 और 1946 के अंकों को आप अपने तर्कों का आधार नहीं बना सकते हैं।

***पं. ठाकुरदास भार्गवः** परन्तु उन वर्षों में भारतीय सरकार द्वारा मवेशी वध का निषेध किया गया था। उन्होनें मवेशी वध निषेध की आज्ञा निकाल दी थीं। परन्तु फिर भी वध की संख्यायें इतनी अधिक थीं।

***सैयद मोहम्मद सादुल्लाः** मैं इधर उधर की बातों में नहीं जाना चाहता हूं। विषय यह है कि मवेशियों की भरमार है। बंटवारे के पूर्व हम पश्चिमी पंजाब से मवेशी लाने का प्रयत्न कर रहे थे। वहां का मवेशी औसतन आधा मन दूध देता है। आसाम सरकार इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और पंजाब से मवेशी मंगाकर अपने मवेशी का दूध बढ़ाने का प्रयत्न करती चली आ रही है। अपने सरकारी पशु पोषणालयों द्वारा अभी हमने इस समस्या को केवल छुआ ही है और केवल शिलांग में हम सफल हुए हैं वहां दूध बढ़ गया है पर मैदानों में अभी प्रति दिन एक पाव दूध ही प्राप्त होता है।

पंडित भार्गव का संशोधन यह है कि मनुष्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें वैज्ञानिक साधनों का अनुभव करना चाहिए। उससे पूर्वाभास मिलता है कि बेकार मवेशी का अन्त किया जाये और अच्छी नस्लों को लाया जाये।

अब मैं आपसे पूछता हूं कि उन सत्तर लाख मवेशियों का क्या किया जाये जो आसाम में हमारे पास हैं? इसलिए, श्रीमान्, यदि आप इसे आर्थिक रूप में देखें तो आपके सामने यह प्रश्न खड़ा हो जायेगा कि हमारे पास उन मवेशियों की जिन पर व्यर्थ का खर्च होता है इतनी बड़ी संख्या है कि इसके पूर्व कि आप अच्छी नस्ल रख सकें उनका अन्त करना होगा। दूसरा प्रश्न यह है...।

***पंडित ठाकुरदास भार्गवः** क्या माननीय सदस्य को यह विदित नहीं है कि गौशाला तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बहुत से बेकार मवेशियों को अच्छा मवेशी बना

[पं. ठाकुरदास भार्गव]

लिया गया है और ठीक खुराक और इलाज से कम से कम 90 प्रतिशत को ठीक किया जा सकता है?

***सैयद मोहम्मद सादुल्लाः** श्रीमान्, मैं अन्य भागों की गौशालाओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता हूं और मैं पंडित भार्गव को उत्तर नहीं देना चाहता हूं क्योंकि केवल दस मिनट शेष हैं। मैं सभा से यह कह रहा था कि अनेकों के हृदय में ऐसी गुप्त शंका विद्यमान है कि मुसलमान लोग इस गौ-वध के उत्तरदायी हैं यह बिल्कुल गलत है।

***पंडित ठाकुरदास भार्गवः** बिल्कुल गलत।

***सैयद मोहम्मद सादुल्लाः** मुझे हर्ष है कि इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता महोदय यह कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। ऐसे लाखों मुसलमान हैं जो गौ मांस भक्षण नहीं करते हैं मैं यह आत्मश्लाघा के रूप में नहीं कह रहा हूं कि मैं भी नहीं खाता हूं। बंटवारे के पूर्व मुसलमान सम्पूर्ण जनसंख्या का चौथाई भाग था। वे वध करने के लिए बहुत से मवेशी नहीं पालते थे। यह बहुमत के ही लोग हैं जो मुसलमानों को वध हेतु मवेशी बेच देते थे। अब मुसलमान भारतीय उपनिवेश की जनसंख्या का दशांश है। क्या आप यह समझते हैं कि वध करने के लिए मुसलमान यथेष्ट मवेशी रखेंगे? हमारे हिन्दू भाइयों की अपेक्षा मुसलमान अधिक गरीब हैं। मुसलमान भी उतने ही कृषक हैं जितने कि हिन्दू और उनके मवेशी उनकी परिसम्पत्ति हैं, खेत जोतने की और अन्न पैदा करने की उनकी शक्ति का वे स्वाभाविक साधन हैं जिनसे उनका वर्ष भर का निर्वाह होता है। इसलिए यह कहना गलत है कि अपने हिन्दू भाइयों को सताने अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए मुसलमान गौ वध करते हैं। सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश मुसलमान मांसाहारी हैं। भेड़ के गोश्त की कीमत इतनी अधिक है कि बहुत से गरीब लोग उसे नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए विशेष अवसरों पर उनको गौमांस सेवन करना पड़ता है। मेरा अनुभव यह है कि केवल बांझ गायें ही कसाई को दी जाती हैं। आसाम के बारे में कहते हुए तो यह बात है कि पहाड़ी लोग इस सम्बन्ध में बहुत दोषी हैं। शिलांग नगर में जो लोग गौमांस का व्यापार करते हैं उनमें मुसलमान केवल एक है जबकि पहाड़ी लोग सत्तर हैं। श्रीमान्, इन परिस्थितियों में आर्थिक रूप के आधार पर मैं पंडित भार्गव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मुझे खेद है कि जो कारण मैंने बताए हैं उनके आधार पर मैं सेठ गोविन्ददास के संशोधन का विरोध करने में विवश हूं।

**माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***उपाध्यक्षः** अब मैं एक-एक संशोधन पर मत लूंगा। पंडित ठाकुरदास भार्गव का संशोधन। वह सूची 2 में संख्या 72 पर है।

***सेठ गोविन्ददासः** मेरे संशोधन का क्या हुआ जो पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन पर संशोधन के रूप में है? पहले उस पर मत लिया जाना चाहिए।

***उपाध्यक्षः** आपने अपना संशोधन, संशोधन संख्या 1002 पर पेश किया था और उसको पेश नहीं किया गया।

***पं. ठाकुरदास भार्गवः** मैंने संख्या 1002 के स्थान में संख्या 72 कर दिया था।

***सेठ गोविन्ददासः** मेरा संशोधन पंडित ठाकुरदास भार्गव के उस संशोधन पर है जो उन्होंने अभी पेश किया है।

***उपाध्यक्षः** बहुत अच्छा, मैं आपके संशोधन पर मत लेने के लिए राजी हूं। अब सेठ गोविन्ददास के संशोधन संख्या 73 सूची 2, पर मत लिया जाता है।

*संशोधन अस्वीकार किया गया।*

***उपाध्यक्षः** अब सूची 2, पं. ठाकुरदास के संशोधन संख्या 72 पर मत लिया जाता है।

*संशोधन स्वीकार किया गया।*

***उपाध्यक्षः** अनुच्छेद 38 (क) पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन का है। सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है किः

''अनुच्छेद 38 (क) सद्योल्लिखित रूप में विधान का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकार किया गया।*

*अनुच्छेद 38 (क) संशोधित रूप में विधान में जोड़ दिया गया।*

---

## अनुच्छेद 39

***उपाध्यक्षः** क्या हम अब कार्यक्रम के आगे के पद को लें? सं. 1003 एक पूर्व संशोधन के अंतर्गत आ गया है। सं. 1004 पर विचार समाप्त हो ही

[उपाध्यक्ष]

चुका है। तदनन्तर सं. 1005 है। उसका प्रथम भाग पेश नहीं किया जा सकता है पर दूसरा भाग पेश किया जा सकता है (*नहीं पेश किया गया*)।

तो फिर सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 39 विधान का अंग बने।

(*सं. 1006, 1007 और 1008 पेश नहीं किये गए*)

सं. 1009—डा. अम्बेडकर और उनके साथियों द्वारा।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि:

''अनुच्छेद 39 में 'from spoilation' (बिगाड़ने) शब्द के पश्चात् 'disfigurement' (कुरूप करने) शब्द जोड़ दिया जाये।''

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि:

''अनुच्छेद 39 में 'बिगाड़ने' शब्द के पश्चात् 'कुरूप करने' शब्द जोड़ दिया जाये और ''रक्षण करने का'' तथा ''राज्य का कर्त्तव्य'' शब्दों के मध्य में आये हुए समस्त शब्दों को निकाल दिया जाये।''

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** आप क्यों भाषण देना चाहते हैं जबकि मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** मुझे हर्ष है कि डा. अम्बेडकर उसे स्वीकार कर रहे हैं। चूंकि यह अनुच्छेद एक निदेशक सिद्धान्त है उसमें (पार्लियामेंट) संसद् के कानूनों का उल्लेख नहीं होना चाहिए इसलिए हम ''तथा ऐसे सब आस्मारकों, स्थानों अथवा वस्तुओं के संसद् द्वारा बनाई हुई विध्यनुसार परिरक्षण तथा संधारण करना'' शब्द निकाल देने चाहिएं।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***उपाध्यक्षः** श्री राम सहाय के नाम से एक अन्य संशोधन है जिसके शब्द इसी के शब्दों के समान हैं। मैं इस पर मत लूंगा।

**श्री रामसहाय** (संयुक्त राज्य ग्वालियर, इंदौर): अध्यक्ष महोदय, मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं जिनमें से एक उस अमेंडमेंट के अन्तर्गत आ जाता है जिसे अभी प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना ने मूव किया है, और चूंकि डा. अम्बेडकर ने उसे मंजूर कर लिया है इसलिए मुझे उसको पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। अब मेरा एक अमेंडमेंट यह है कि आर्टिकल 39 में शब्द ''इट शैल बी दी आबलीगेशन आफ दी स्टेट'' की जगह ''दी स्टेट शैल'' रख दिए जाये। इस तरमीम के पेश करने का मेरा मकसद यह है कि जिस तरह सेक्शन 39 के पहले वाले दो सेक्शन में यह शब्द 'दी स्टेट शैल' आए हैं वही इस सेक्शन में भी इस्तेमाल किए जायें और उसके खिलाफ शब्द 'इट शैल बी दी आबलीगेशन आफ दी स्टेट' न इस्तेमाल किये जायें। इसलिए इस सेक्शन को कनफारमिटी में लाने के लिए मैंने यह तरमीम पेश की है। मुझे आशा है कि डा. अम्बेडकर साहब इसे मंजूर फरमा लेंगे और हाउस भी इसे मंजूर कर लेगा।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं एक-एक करके संशोधनों पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है कि:

''अनुच्छेद 39 में 'बिगाड़ने' शब्द के पश्चात् 'कुरूप करने' शब्द जोड़ दिये जायें।''

*प्रस्ताव स्वीकार किया गया।*

***उपाध्यक्ष:** प्रो. शिब्बनलाल का संशोधन है।

***बेगम ऐजाज रसूल** (संयुक्तप्रांत : मुस्लिम): क्या में जान सकती हूं कि डा. अम्बेडकर ने प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन को स्वीकार किया है या नहीं। यदि नहीं किया है तो मैं उसके दूसरे भाग का विरोध करना चाहती हूं।

***उपाध्यक्ष:** जहां तक मुझे ज्ञात है दूसरा भाग है ही नहीं। यह केवल कुछ शब्दों के निकालने से सम्बन्ध रखता है। पहला भाग तो एक समान ही है।

***बेगम ऐजाज रसूल:** मैं उस प्रस्ताव का विरोध करना चाहती हूं।

***उपाध्यक्ष:** अब तो इसके लिए विलम्ब हो गया। प्रस्ताव यह है कि:

''अनुच्छेद 39 में 'बिगाड़ने' शब्द के पश्चात् 'कुरूप करने' शब्द जोड़ दिये जायें और 'रक्षण करने' का तथा 'राज्य के कर्त्तव्य' शब्दों के मध्य में आये हुए समस्त शब्दों को निकाल दिया जाये।''

*प्रस्ताव स्वीकार किया गया।*

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

''अनुच्छेद 39 में 'it shall be the obligation of the state to' शब्दो के स्थान में 'the state shall' शब्द रखे जायें।

*प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।*

***श्री रामसहाय:** मैं कहना चाहता हूं कि डा. अम्बेडकर ने मेरा अमेंडमेंट मंजूर कर लिया है। मै। आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपा कर फिर मत लें।

***उपाध्यक्ष:** मैंने इस विषय को सभा के समक्ष रखा और सभा ने उसे अस्वीकार कर दिया। चाहे कुछ भी कारण हो इस विषय को पुन: विचार के लिए रखना मेरे अधिकार की बात नहीं है।

अब मैं इस वाक्यखंड को उस रूप में सभा के समक्ष रखूंगा जिस रूप में कि वह अब हो गया है।

***श्री रामसहाय:** मैं कहना चाहता हूं कि डा. अम्बेडकर ने मेरा अमेंडमेंट मंजूर कर लिया है। मैं डिवीजन चाहता हूं।

***उपाध्यक्ष:** अब तो इसके लिये बहुत विलम्ब हो गया। आप ठीक समय पर खड़े क्यों नहीं होते और मत विभाजन की मांग क्यों नहीं रख देते हैं? विषय अब समाप्त कर दिया गया है। प्रस्ताव यह है कि:

''संशोधित रूप में अनुच्छेद 39 विधान का अंग बने।''

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*अनुच्छेद 39, संशोधित रूप में, विधान में जोड़ दिया गया।*

## अनुच्छेद 39-क

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि:

''अनुच्छेद 39 के पश्चात् निम्न नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाये:

'39क—राज्य यह प्राप्त करने की कार्यवाही करेगा कि इस विधान के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायाधीश वर्ग का अधिशासी वर्ग से पार्थिक्य हो जाये।' ''

मैं नही समझता कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उसके समर्थन के लिये मुझे किसी लम्बे विवरण में जाने की आवश्यकता है। दीर्घकाल से इस देश की यह इच्छा रही है कि न्यायाधीश वर्ग का अधिशासी वर्ग से पार्थिक्य हो जाये और इस मांग को हम ठीक जब से कि कांग्रेस की स्थापना हुई है, तभी से रखते चले आये हैं। दुर्भाग्य से ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के उन संकल्पों पर कोई अमल नहीं किया, जिनके द्वारा वह देश के प्रशासन में इन सिद्धांतों के पुर:स्थापन की मांग रखती आई थी। हम समझते हैं कि अब समय आ गया है, जब कि इस सुधार को किया जाये। यह समझ लिया गया है कि इस सुधार को करने में कुछ कठिनाइयां अवश्य होंगी। परिणामस्वरूप इस संशोधन द्वारा दो विशेष विषयों पर विचार किया गया है, जो कि कठिनाई के विषय समझे जा सकते हैं। एक यह है कि: हमने इसे जानबूझ कर मौलिक सिद्धांतों का विषय नहीं बनाया है क्योंकि यदि हम इसे मौलिक सिद्धांतों का विषय बना देते तो विधान के स्वीकृत होते ही हमारे लिये तुरन्त ही यह परमावश्यक हो जाता है कि न्यायाधीश वर्ग और अधिशासी वर्ग को पृथक् करें। इसलिये हमने जानबूझ कर इस विषय को निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में रखा है और उसमें भी हमने यह व्यवस्था की है कि इस सुधार को तीन वर्ष में किया जायेगा, इसलिये कि इस बात के लिये कोई गुंजाइश न रहे कि ऐसे विषयों को टाल दिया जाये। श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, यह डा. अम्बेडकर का बाद का विचार है अथवा मैं यह कहूंगा कि मसौदा-समिति का यह बाद का विचार है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि विधान के इस विशेष भाग का मसौदा बनाते समय उन्होंने इसके बारे मैं क्यों नहीं सोचा। कदाचित उन्होंने यह सोचा कि चूंकि इस भाग में, जिसे कि भावनाओं का वास्तविक घूरा कहा

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

जा सकता है, अनेकों नये पद आ गये हैं, वे भी इस घूरे में अपने इस विशेष संशोधन के लिये एक कोना ढूंढ लें। मुझे वास्तव में इस संशोधन या अन्य किसी संशोधन के यहां रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह घूरा इतना फैलने वाला है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी मन की बात रख सकता है। परन्तु मैं डा. अम्बेडकर की इस व्याख्या को नहीं समझ सका जब कि उन्होंने यह कहा कि वह इसको मौलिक अधिकारों में नहीं रखना चाहते हैं। वे केवल इसे आज्ञा देने वाला बनाना चाहते हैं, पर वे तीन वर्ष की अवधि पर आग्रह करते हैं, जिसके अन्तर्गत यह काम कर लिया जाये। सच बात तो यह है कि जब वे स्वयं यह समझते हैं कि यह आदेशमूलक नहीं है, तो तीन वर्ष की अवधि रखने का क्या उद्देश्य है? विधान निर्माताओं की इस इच्छा की अभिव्यक्ति कि न्यायाधीश-वर्ग का अधिशासी-वर्ग से पार्थक्य हो, ही यथेष्ट है। विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा यथासम्भव शीघ्र ही इसको अमल में लाना चाहिये। इस विशेष विषय में तीन वर्ष की अवधि का कहां औचित्य है? मैं स्वयं पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र के संशोधन सं. 960 का पक्ष-समर्थन करता हूं।

विद्वान डाक्टर ने कहा कि स्थापना काल से ही कांग्रेस की यह आधारभूत मांग रही। मैं मानता हूं कि ऐसा था, मैं इसको अस्वीकार करना नहीं चाहता हूं। मुझे यह भी याद है कि एक प्रसिद्ध कांग्रेसी ने, जो कि इस देश के एक बड़े प्रान्त का प्रधानमंत्री था, एक बार कहा था कि न्यायाधीश वर्ग और अधिशासी वर्ग को पृथक् करने के विचार अब बदल गये हैं और चूंकि अब विदेशी सरकार नहीं है पृथक करने की आवश्यकता नहीं है। यह इतना प्रमुख सिद्धांत प्रतीत नहीं होता है, जितना कि इसे राजनीतिज्ञ उस समय समझते थे जब कि अंग्रेजों का यहां अधिकार था।

विद्वान् डाक्टर को यह मालूम ही होगा कि कुछ प्रान्तों ने न्याय और अधिशासन सम्बन्धी प्रकार्यों को पृथक् करने की कुछ कार्यवाही की है। मेरे विचार से तीन बड़े-बड़े प्रान्तों ने इस विषय को लिया है। वास्तव में उन्होंने कोई अधिक प्रगति नहीं की है, कदाचित इसके लिये कुछ कारण हैं या तो अन्य कार्यों में लगे रहने के कारण या अर्थ सम्बन्धी अथवा अन्य जो कोई भी कारण हो। मैं नहीं समझ पाता कि इस कार्य को तीन वर्ष में ही करने के लिये हम उनसे क्यों कहें, जबकि

वह छः या सात वर्ष में हो सकता है। इस संशोधन के बारे में जो कुछ मेरे वास्तविक अनुभव हैं, वे यह हैं कि डा. अम्बेडकर के यह कह कर कि यह तीन वर्ष में हो जाना चाहिये, प्रान्तीय सरकारों को विवश करने के प्रयास में कोई तुक या तर्क नहीं है यद्यपि वास्तव में वे इस प्रथा से प्रान्तीय सरकार को विवश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रान्तीय सरकार इस प्रावधान की उपेक्षा कर सकती है। हम केवल एक पवित्र कामना का प्रतिपादन कर रहे हैं और उसमें एक नियत काल का बन्धन रख रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में हम जानते हैं कि वह अमल में नहीं लाया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। न्यायाधीश वर्ग के सम्बन्ध में अनेकों संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनको मसौदा-समिति बाद में पेश करेगी और जो कि बाद के विचार के रूप में हैं। एक प्रोफेसर के लिये तो यह ठीक है कि वह न्यायाधीश वर्ग और अधिशासी वर्ग के पूर्ण पार्थक्य के विचार का प्रतिपादन करे। पर वास्तविक प्रयोग में इसका बिल्कुल ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि न्यायाधीश वर्ग को बहुत अधिक अधिकार देने के प्रयत्न में—वह न्यायाधीश वर्ग जिसका किसी रीति से भी किसी विधान मंडल द्वारा नियंत्रण नहीं होता, सिवाय इसके कि उसे पूर्णतया हटा दिया जाये—हम कदाचित् अपने लिये कांटे बो रहे हैं, जिससे कि इस विधान निर्माताओं की आकांक्षाओं का अन्त हो जायेगा। मुझे वे कठिनाइयां याद हैं, जिनका अनुभव एक अन्य देश संयुक्त राज्य अमरीका को हुआ था, जिसका विधान अपरिवर्तनीय था, केवल वहां के अध्यक्ष फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के न्यू डील के समय में ही नहीं वरन् अध्यक्ष थियोडोर रूज़वेल्ट के समय में भी जब कि सुधारवादी दल ने यह अनुभव किया कि न्यायाधीश वर्ग अनुचित रूप से प्रशासन के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में हस्तक्षेप कर रहा है। मेरे विचार यह हैं कि यद्यपि इस विषय में डा. अम्बेडकर के विचारों के प्रति मुझे बहुत श्रद्धा है पर न्यायाधीश वर्ग को, ऐसे समय में जब कि हम जानते हैं कि उस वर्ग में भरती करने के लिए हमें प्रथम कोटि के मनुष्य नहीं मिलेंगे, अनुचित अधिकार देकर इस देश के विधान को संकुचित तथा संकीर्ण बनाना बुद्धिमत्ता नहीं है। मैंने न्यायिक अफसरों के उदाहरण देखे हैं—हाईकोर्ट के न्यायाधीश अधिशासक बने और फिर न्यायाधीश वर्ग में आये, क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार न्यायाधीश वर्ग के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये वकीलों में से ठीक व्यक्ति

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

न पा सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रान्त में जहां तक न्यायिक अफसरों का सम्बन्ध है, वे व्यक्ति जो इस उच्च पद तक पहुंच जाते हैं, उतने अच्छे नहीं हैं, जितने कि कदाचित् हम प्राप्त करना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में यह विचार कि न्यायाधीश वर्ग को असीम अधिकार दे दिये जायें और उसको स्वयं एक नियमित शासन व्यवस्था बना दिया जाये। कदाचित् हमें उससे भी अपेक्षाकृत महान् संकट की ओर ले जायेगा, जिसका कि हम अभी अनुमान कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इस दशा में मैं प्रस्तावक महोदय से यह निवेदन भी कर सकता हूं कि इस तीन वर्ष की अवधि को हटा दिया जाये, जो व्यर्थ तथा निरर्थक है और जिसको अमल में नहीं लाया जा सकेगा और फिर वह एक ऐसा विषय हो जायेगा, जो प्रान्तीय सरकारों को इस विधान का अपमान करने के लिये प्रेरित करेगा और इस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का कारण होगा कि यह भी एक भावना प्रधान अनुच्छेद है, जैसे कि इस भाग के अन्य अनुच्छेद हैं। मैं नहीं समझता कि डा. अम्बेडकर इस बात को मान भी सकेंगे; विशेषकर जबकि कांग्रेस दल ने इस मसौदे को इस विशेष रूप में स्वीकार कर लिया है; पर मैं सोचता हूं कि इस विशेष संशोधन के शब्दों में जो कठिनाइयां स्पष्ट हैं, उनको बताने में कोई हानि नहीं है जो कि अन्य प्रकार से कदाचित् निरपवादनीय है।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा से निवेदन करता हूं कि डा. अम्बेडकर के इस संशोधन पर विचार-विमर्श को अन्य किसी तिथि के लिये स्थगित किया जाये। कांग्रेस अधिवेशन शीघ्र ही जयपुर में हो रहा है। जब कि पूर्ववर्त्ती ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों को सताया जाता था, हमने सोचा कि ब्रिटिश सरकार से हमें न्याय की आशा नहीं और तब हमने न्यायाधीश वर्ग का अधिशासी वर्ग से पार्थक्य चाहा था। वह स्थिति अब नहीं है। हमें यह परीक्षा करनी है कि आज पार्थक्य आवश्यक है या नहीं।

दुर्भाग्यवश मैं देखता हूं कि भारत में वकीलों की भरमार है। इस सभा में पचास प्रतिशत से अधिक वकील हैं। म्यूनिसिपैलिटियों में आवश्यकता से अधिक वकील हैं। मंत्रिमंडल में वकीलों की बहुत अधिक संख्या है—मैं यहां की अपनी सरकार के सम्बन्ध में कह रहा हूं। यद्यपि इस सभा की यह पवित्र कामना है कि तीन

वर्ष में न्यायाधीश वर्ग की अधिशासी वर्ग से पृथक् कर दिया जाये—पर क्योंकि इसे मौलिक अधिकारों में नहीं रखा गया है, अत: हमें इस बात पर विचार करना है कि यह उचित न होगा कि यह सभा जयपुर कांग्रेस में इस बात पर विचार कर लेने दे कि इतने अधिक खर्चे को जो इसमें होगा देश सहने के लिये तैयार है या नहीं।

भारतीय सरकार और प्रान्तों की वेतन सम्बन्धी समितियां बनी थीं। जिन्होंने अधिशासी और न्यायिक अफसरों के वेतनों को कम करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचा। इस सभा ने ग्राम-पंचायत को स्वीकार कर लिया है। डा. अम्बेडकर ने उदारतापूर्वक कांग्रेस के सिद्धांतों का उल्लेख किया। क्या वह आज व्यवहार्य है? मैं अपने मित्र श्री कृष्णमाचारी का समर्थन करता हूं कि तीन वर्ष में यह नहीं हो सकता। इसको अमल में लाने में दस या बीस वर्ष लगेंगे। अन्यथा यदि प्रान्तीय सरकारें उन वेतनों को दें जो कि न्यायिक अफसर पा रहे हैं, तो बहुतों का दिवाला निकल जायेगा। प्रसंगवश मैं एक बात की ओर संकेत करूंगा। मैं देखता हूं कि भारतीय सरकार ने भी अभी हाल ही में संधानीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तीन से पांच कर दी है। हम उदारतापूर्वक उच्च न्यायिक नियुक्तियों की व्यवस्था करते चले जा रहे हैं और अब हम अधिशासी वर्ग से पृथक् न्यायाधीश वर्ग की व्यवस्था करना चाहते हैं और अधिक वकीलों, मुन्सिफों और जिला न्यायाधीशों की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिससे कि अभियोग के दोनों पक्षों के प्रति तर्क करने के लिए और अधिक वकील हो जायें। गरीब आदमी की क्या स्थिति होगी? मैं सम्मानपूर्वक सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्थगित करे और हम यह देखें कि जयपुर कांग्रेस एक वर्ष की स्वतंत्रता के पश्चात् इस विषय पर क्या विचार करती है। याद रखिये कि ब्रिटिश से स्वतंत्रता या तत्कथित स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है। यदि हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है तो हम इस पर अपने स्वतंत्रता के युग में विचार करने का प्रयत्न करें।

***उपाध्यक्ष:** कल प्रात:काल के दस बजे तक सभा स्थगित की जाती है।

*तत्पश्चात् वृहस्पतिवार तारीख 25 नवम्बर सन् 1948 ई. के प्रात: 10 बजे तक के लिये सभा स्थगित हुई।*